अरविन्द कुमार त्रिपाठी
द्वारा
पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड
का संक्षिप्त वर्णन





16 संस्कार
16 Sacred Rites

Puratan BANDA, Bundelkhand ka Sankshipt Varnan

Arvind Kumar Tripathi

ISBN : 978-93-5906-820-6

अध्याय शीर्षक	16 सन्स्कार
सर्वाधिकार	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, लेखक
आइ एस बी एन / **ISBN**	**978-93-5906-820-6**
प्रकाशक	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, लेखक ग्राम – अछरौन्ड, बान्दा – 210 001 उत्तर प्रदेश
मूल्य	निःशुल्क, पुस्तक मित्र को देना
सन्स्करण	प्रथम, 01 अप्रैल 2020
आवरण / मुखपृष्ठ	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, लेखक
शब्द – संयोजन	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, लेखक
मुद्रक	अरविन्द कुमार त्रिपाठी, लेखक
सन्दर्भ / साभार / सौजन्य	अध्याय **Reference** देखे

Chapter Heading	**16 Sacred Rites**
Copyright @	**Arvind Kumar Tripathi, The Writer**
ISBN	**978-93-5906-820-6**
Publisher	**Arvind Kumar Tripathi** **Village - Achharaund** **Banda - 210 001** **Uttar Pradesh**
Price	**Free, Circulate to Friends**
Edition	**First, 01 April 2020**
Cover Main	**Arvind Kumar Tripathi, The Writer**
Word Compositor	**Arvind Kumar Tripathi, The Writer**
Printer	**Arvind Kumar Tripathi, The Writer**
Reference/ Gratitude/ courtesy	**Peruse Chapter - REFERENCE**

16 सन्स्कार 16 Sacred Rites

पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड – बान्दा क्षेत्र के **16 सन्स्कारों** का संक्षिप्त वर्णन

बुन्देली लोक परम्पराओं की वैज्ञानिकता

बुन्देलखण्ड की लोक सन्स्कृति अत्यन्त प्राचीन है। यहां की लोक परम्पराओं तथा रीतिरिवाजों के अनुशीलन से पता चलता है कि ये वैदिक जीवन से प्रभावित तथा विज्ञान–सम्मत हैं। सन्स्कार, रीतिरिवाज, पर्व–त्यौहार, लोकाचार एवम् दैनिक चर्चा के अनेक कार्य जिस वैज्ञानिकता का संकेत देते हैं उससे प्रतीत होता है कि इस अन्चल के सामाजिक मनीषियों ने सामान्य जीवनशैली को विज्ञान–सन्गत एवम् पर्यावरण बोधक बनाने का महनीय प्रयास किया था। जीवन शैली का लोक व्यापीकरण इस चतुराई से किया गया कि उसमें वैज्ञानिकता का सहज प्रवेश हो गया। उस जीवन शैली ने पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर परम्परा का स्वरुप ग्रहण कर लिया। घर का कोई अनपढ़ बालक, महिला या पुरुष अपने दैनिक कार्यों को यह सोचकर नहीं करता है कि वह कोई विज्ञान सम्मत आचरण करने जा रहा है। वह तो मात्र इसलिये ऐसा करता है क्योंकि उसके घर, परिवार अथवा समाज के लोग परम्परागत रुप से, लोक रीति में वैसा करते आये हैं। लोक परम्परा का अविरल प्रवाह, विज्ञान की सन्जीवनी से बुन्देली लोक जीवन को अभिसिंचित करता आया है। इस विषय को गहराई से समझने के लिये हमें पर्वों त्यौहारों, पूजा विधान तथा लोक रीतियों को बारीकी से देखना होगा।

सन्स्कार शब्द सम्पूर्वक कृ–धातु से घञ् प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। सन्स्कार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है। सन्स्कृत वाङ्मय में इसका प्रयोग शिक्षा, सन्स्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य पूर्णता, व्याकरण सम्बन्धी शुद्धि सन्स्करण, परिष्करण, शोभा आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, फलशक्ति, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि–विधान, अभिषेक, विचार भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि व्यापक अर्थ में किया जाता है। अतः सन्स्कार शब्द अपने विशिष्ट अर्थ समूह को व्यक्त करता और उक्त सम्पूर्ण अर्थ इस शब्द में समाहित हो गये है। अतः सन्स्कार, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए किये जाने वाले अनुष्ठानों का श्रेष्ठ आचार है। इस अनुष्ठान प्रक्रिया से मनुष्य की बाह्याभ्यन्तर शद्धि होती है जिससे वह समाज का श्रेष्ठ आचारवान नागरिक बन सके। यह आन्तरिक रुप की रक्षा करता है। हमारा इस जीवन में प्रवेश करने का मुख्य प्रयोजन यह है कि पूर्व जन्म में जिस अवस्था तक हम आत्मिक उन्नति कर चुके है, इस जन्म में उससे अधिक उन्नति करें।

आन्तरिक रुप हमारी जीवनचर्या है। यह कुछ नियमों पर आधारित हो तभी मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है, तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ जाते है। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है, जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। इन प्रभावों में कुछ बुरे होते है और कुछ भले। बच्चा भले और बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। सन्स्कारों का उद्देश्य है कि पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों का अन्त कर उनमें उत्तरोतर सुधार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने षोडश सन्स्कार की चर्चा की है। षोडश सन्स्कार अर्थात् गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि क्रिया सन्स्कार तक के प्रमुख सोलह सन्स्कार।

उपयोग में लाने के लिए जब हम कुछ सुधार करते है तब उस सुधरी हुई वस्तु को सन्स्कृत कहा जाता है। वह *सुधार ही सन्स्कार* है। अर्थात् अपने लिए तथा समाज के लिए उपयोगी बनाना ही सन्स्कार है तथा सुसन्स्कृत होकर वह व्यक्ति अपने में पूर्ण हो जाता है। उसे अन्य गुणों की अपेक्षा अब नहीं रह जाती है। यह सन्स्कार (सुधार) तीन प्रकार से होता है।

दोषमार्जन, अतिशयाधान, हीनान्गपूर्ति।

इसे उदाहरण के साथ इस तरह समझ सकते है।।

जैसे लोहा जिस प्रकार खान से निकलता है, ठीक उसी प्रकार उसका उपयोग हम आप नहीं कर सकते है। क्योंकि वह अतिमलिन होता है। यदि उससे तलवार बनानी हो तो उसका सन्स्कार करना पड़ता है।

इस प्रकार हम पहले कह चुके है कि सन्स्कार में तीन बातें अति महत्वपूर्ण है।

1 दोषमार्जन अर्थात् उसे साफ करना– प्रकृति के द्वारा पैदा किए हुए पदार्थ में यदि कोई दोष हो तो अपने उपयोग में लाने के लिए सुधार करते है, जिसका नाम दोषमार्जन हैं।

2 अतिशयाधान उपयोगी बनाने के लिए कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना ही अतिशयाधान है।

3 हीनान्गपूर्ति फिर उपयुक्तता में कोई त्रुटि हो तो अन्य पदार्थ को मिलाकर उसकी पूर्ति करना ही हीनान्गपूर्ति है।

ये ही बातें सन्स्कारों पर भी लागू होती है। गर्भाधान, जातकर्म, अन्नप्राश आदि सन्स्कारों के द्वारा मानव का दोषमार्जन होता है। चूडाकरण, उपयनयन अदि सन्स्कारों के द्वारा अतिशयाधान (विशेष गुण की स्थापना) होता है तथा विवाह, अग्न्याधान आदि सन्स्कारों के द्वारा हीनान्गपूर्ति होती है।

गार्भैर्हामैर्जातकर्म चौडमौन्जी निबन्धनैः।
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते।।
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिद्विजन्मनाम्।
कार्यः शरीरसन्स्कारः पावनः प्रेत्य चेह च।।

+1

इस प्रकार सन्स्कारों के इन्ही तीनों गुणों से मानव अपने जीवन को पूर्ण करता है। तथा इस लोक में सुख शान्ति का अनुभव करते हन्ए शान्ति से परलोक सुख का भी आनन्द लेता है।

आज सभी मानव अपने को पूर्ण बनने की अभिलाषा रखते है और रखना भी चाहिए, जो वर्तमान समाज के लिए एवम् स्वयम् के लिए अत्यन्त उपयोगी एवम् महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में इन सन्स्कारों का आध्यात्मिक महत्व तो अत्यन्त उत्तम है, परन्तु इस वैज्ञानिक तथा तार्किक युग में उत्पन्न मानवजाति के लिए भी इसे समझना एवम् समझाना आवश्यक है।

सन्स्कार, दोषमार्जन, अतिशयाधान, हीनान्गपूर्ति तीन गुणों से व्यक्ति पूर्ण मानव रूप विभूषित करता है।

सन्स्कारों का भौतिक उद्देश्य

<u>सान्स्कृतिक प्रयोजन</u>

आचार्य मनु कहते है कि गार्भहोम (गर्भाधान) के अवसर पर किये जाने वाले होम आदि जातकर्म चूडाकर्म (मुण्डन) और मौन्जीबन्धन (उपनयन) सन्स्कार के अनुष्ठान से द्विजों के गर्भ तथा बीज सम्बन्धी दोष दूर हो जाते है।

गार्भैहोमैर्जातकर्म चौडमौन्जी निबन्धनैः।
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते।। +2

आचार्य याज्ञवल्क्य भी ठीक इसी मत का समर्थन करते है।
आचार्य अन्गिरा भी इसे प्रकारान्तर से इसी प्रकार कहते हैं।

<u>नैतिक प्रयोजन</u>

हमारे भारतीय सन्स्कारों का एक नैंतिक प्रयोजन भी है जिसकी आज के समाज में अत्यन्त आवश्यकता है।

आचार्य गौतम चालीस सन्स्कारों को गिनाने के पश्चात् आत्मा के (मनुष्य) आठ गुणों का उल्लेख करते हैः

1 दया,	2 क्षमा,	3 अनुसूया,	4 शौच
5 शम,	6 उचित व्यवहार,	7 निरीहता,	8 निर्लोभता।

वे आगे कहते है कि जिस ने 40 सन्स्कारों का अनुष्ठान तो किया है, किन्तु आठ आत्म गुणों का जिसमें अभाव है उसके सारे 40 सन्स्कार निरर्थक है अर्थात् आचार्य गौतम के अनुसार सन्स्कारों का नैतिक प्रयोजन ही सर्वश्रेष्ठ है।

<u>सन्स्कारों की संख्या</u>

आश्वलायन गृह्यसूत्र में 11 सन्स्कारों का वर्णन है। जो निम्निलिखित है।

1 विवाह,	2 गर्भाधान,	3 पुन्सवन,	4 सीमन्तोन्नयन,	5 जातकर्म,
6 नामकरण,	7 चूडाकरण,	8 अन्नप्राशन,	9 उपनयन,	10 समावर्तन,
11 अन्त्येष्टि।				

बौधायन गृह्यसूत्र में 13 सन्स्कारों का वर्णन है। जो निम्निलिखित है।

1 विवाह,	2 गर्भाधान,	3 पुन्सवन,	4 सीमन्तोन्नयन,	5 जातकर्म,
6 नामकरण,	7 उपनिष्क्रमण,	8 अन्नप्राशन,	9 चूडाकरण,	10 कर्णवेध,
11 उपनयन,	12 समावर्तन,	13 पितृमेघ।		

यह प्रायः दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। जो कृष्णयजुर्वेदी है, उनके लिए ये सन्स्कार है। उसी प्रकार आश्वलायन गृह्यसूत्र में वर्णित सन्स्कार ऋग्वेदीय शाखा वालों के लिए है, परन्तु उत्तरभारत में शुक्लयजुर्वेद की ही प्रधानता है। जिसके गृह्यसूत्र का नाम पारस्कर गृह्यसूत्र है।

पारस्कर गृह्यसूत्र के रचियता महर्षि पारस्कर है।
इसमें प्रधान रूप से 13 सन्स्कारों का वर्णन है। जो निम्नलिखित है।

1 विवाह,	2 गर्भाधान,	3 पुन्सवन,	4 सीमन्तोन्नयन,	5 जातकर्म,
6 नामकरण,	7 निष्क्रमण,	8 अन्नप्राशन,	9 चूडाकर्म,	10 उपनयन,
11 केशान्त	12 समावर्तन,	13 अन्त्येष्टि।		

धर्मसूत्रगत कुछ सन्स्कारों की संख्या पर विचार किया जा सकता है।
गौतमधर्मसूत्र में आठ आत्मगुणों के साथ 40 सन्स्कारों का वर्णन है। जो अधोलिखित हैं।

1 गर्भाधान,	2 पुन्सवन,	3 सीमन्तोन्नयन,	4 जातकर्म,	5 नामकरण,
6 अन्नप्राशन,	7 चौल,	8 उपनयन,	9 चार वेदव्रत, स्नान,	

सहधर्मचारिणी संयोग, पान्च महायज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञा . . . .

इन चालीस सन्स्कारों में कुछ तो सन्स्कार है, परन्तु कुछ याग विशेष है।
महर्षि व्यास के अनुसार सन्स्कार मुख्य रूप से सोलह (16) है।

प्रसन्ग में एक बात और जान लिया जाय कि किनका किनका सन्स्कार होना चाहिए अर्थात् इन सन्स्कारों के अधिकारी कौन लोग है।

इसके लिए याज्ञवल्क्य का वचन प्रमाणरूप में उपस्थित करता हूं।

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।
निषेकाद्याः ष्मषानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रिया।। +3

अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है। अतः इनका गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक का सन्स्कार मन्त्रपाठपूर्वक करना चाहिए। शूद्र तथा स्त्रियों का जातकर्मादि सन्स्कार मन्त्र रहित करना चाहिए। अर्थात् ये स्वयम् सन्स्कृत होते है, इनके सन्स्कार की आवश्यकता नहीं है। रही बात मन्त्रपाठ की तो शास्त्र आदेश देता है तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः। लिखा गया है।

स्त्रियों का विवाह मन्त्रसहित तथा शेष सन्स्कार कुल परम्परानुसार मन्त्ररहित होंगे। दूसरी बात यह है कि यदि किसी को गन्ना चूसने के लिए दिया जाय तो पहले यह देखा जाता है कि गन्ना चूसने में वह समर्थ है कि नहीं? यदि गन्ना किसी वृद्ध (दन्तविहीनों) को दे दिया जाय तो देने वाले की ही हंसी होगी। ऐसा ही विचार कर लोक में भी सामर्थ्यहीन व्यक्ति के लिए गन्ने से ही बनी चीनी के रस से युक्त गुलाब जामुन खिलाते है तो वह उसे अच्छा लगता है। उसी प्रकार महर्षियों के द्वारा भी धनादि से सामर्थ्यहीन अत्यन्त कोमल आदि भावों को देखकर ही दयावश स्त्रियों

एवम् शूद्रों के लिए इतने जटिल कर्कश, अधिक धन व्ययजन्य सन्स्कारों को करने में छूट दी गई है अर्थात् ये स्वयम् में सन्स्कृत है। इनके सन्स्कार की कोई आवश्यकता नहीं है।

षोडश सन्स्कार विधि।

सन्स्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण।

षोडश सन्स्कार का अर्थ है सोलह सन्स्कार गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि सन्स्कार तक महत्वपूर्ण षोडश सन्स्कार होते है।

षोडश सन्स्कारों का परिचय

सन्स्कार शब्द सम् पूर्वक कृ–धातु से घञ् प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। सन्स्कार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया जाता है। सन्स्कृत वाङ्मय में इसका प्रयोग शिक्षा, सन्स्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य पूर्णता, व्याकरण सम्बन्धी शुद्धि सन्स्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, फलशक्ति शुद्धिक्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि व्यापक अर्थ में किया जाता है। अतः सन्स्कार शब्द अपने विशिष्ट अर्थ समूह को व्यक्त करता है और उक्त सम्पूर्ण अर्थ इस शब्द में समाहित हो गये है। इन सन्स्कारों में जन्मपूर्व से लेकर बाल्यकाल के दस सन्स्कार और शेष छः शैक्षणिक तथा अन्त्येष्टि पर्यन्त के सन्स्कार परिगणित है।

षोडश सन्स्कारों के नाम व विधि

षोडश सन्स्कारों का क्रम निम्नलिखित रूप से है

1 गर्भाधान,	2 पुन्सवन,	3 सीमन्तोन्नयन,	4 जातकर्म,
5 नामकरण,	6 निष्क्रमण,	7 अन्नप्राशन,	8 चूडाकरण,
9 कर्णवेध,	10 विद्यारम्भ,	11 उपनयन,	12 वेदारम्भ,
13 केशान्त,	14 समावर्तन,	15 विवाह,	16 अन्त्येष्टि।

जनपद की सन्स्कृति का वास्तविक इतिहास जानना है, तो वह उसके जन के आचार मे मिलेगा। अतः आचार वही है, जो लोक में प्रचलित है। उसी को सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज कहते है। लोकोपयोगी होने पर ही लोकगृहीत होकर लोकाचार बनता है।

लोकाचार लोकजीवन के वर्तमान में उसके इतिहास में अतीत की झाँकी मिलती है, उपयोगिता में भविष्य का संकेत। लोकाचार में लोकसन्स्कारों, लोकरीतियों, लोकप्रथाओं लोकवर्जनाओं के सामुच्चय है, इसी कारण वे दीर्घजीवी होते है। उनका लोप इतनी तेजी से नहीं होता, जितनी तेजी से वेश–भूषा और भोजन–पेय का होता है। आज भी बहुत से लोकाचार रूढ़ियों के रूप में अनेकों जगह अडिग है, और कई जगह उनमें परिवर्तन भी आया लेकिन उसे समय परिवर्तन कहते है।

सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज, जाति तथा अन्चल के सापेक्ष होते हैं। प्रत्येक जाति एवम् अन्चल में अलग–अलग रीति–रिवाज विद्यमान हैं। लोक जीवन में सामाजिक स्वीकृति के आधार पर रीति–रिवाज का स्वरूप ग्रहण करते है। कई रीतियाँ कुल तक ही सीमित होती हैं। उन्हें कुल रीति कहते है।

बुन्देलखण्ड अन्चल में सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज का फैलाव काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार एवम् समाज की परम्पराओं में जकड़ा है। जब व्यक्ति अपने समाज एवम् परिवार के विरुद्ध कोई कार्य करता है जो सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज के खिलाफ है तब उसे परिवार व समाज दण्ड देता है या उस व्यक्ति को समाज से निकाल, बाहर कर देता है।

मनुष्य जिस समाज में जन्म लेता है उसी समाज के अनुरूप अपना जीवन यापन कर, रीतियों को अपनाता है। प्रत्येक अन्चल एवम् परिवार की अलग–अलग रीतियाँ होती है। सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज प्रत्येक अवसर से जुडे होते है।

षोडश सन्स्कारों का उल्लेख निम्नलिखित दिया जा रहा है।

16 सन्स्कार 16 Sacred Rites

अरविन्द कुमार त्रिपाठी कृत पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त वर्णन

1 गर्भाधान,	2 पुन्सवन,	3 सीमन्तोन्नयन,	4 जातकर्म,
5 नामकरण,	6 निष्क्रमण,	7 अन्नप्राशन,	8 चूडाकरण,
9 कर्णवेध,	10 विद्यारम्भ,	11 उपनयन,	12 वेदारम्भ,
13 केशान्त,	14 समावर्तन,	15 विवाह,	16 अन्त्येष्टि।

बुन्देलखण्ड अन्चल में सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज

1 फूल चौक/गर्भाधान सन्स्कार

विवाह उपरान्त स्त्री और पुरुष का मिलन/सम्भोग स्वाभाविक हो जाता है और उसके परिणाम समाज के लिए निन्दनीय नहीं होते हैं।

शास्त्रों में मान्य सोलह सन्स्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरान्त प्रथम कर्त्तव्य के रूप में इस सन्स्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ सन्तानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखनेवाले माता–पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिये यह सन्स्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह सन्स्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था।

गृह्यसूत्र गर्भाधान के साथ ही सन्स्कारों का आरम्भ करते है क्योंकि जीवन का आरम्भ इसी सन्स्कार से शुरू होता है।

निषिक्तो यत्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया तद्‌गर्भालम्भनंनाम कर्म प्रोक्तं मनीषिभिः।

—वीरमित्रोदय

स्त्री पुरूष के संयोग रूप इस सन्स्कार की विस्तृत विवेचना शास्त्रों में मिलती है जिसमें अनेक विधि निषेधों की चर्चा है जो मानव जीवन के लिए और आगे आने वाले संतति परम्परा की शुद्धि के लिए अत्यावश्यक है। दिव्य सन्तति की प्राप्ति के लिए बताये गये शास्त्रीय प्रयोग सफल होते है। सन्तति–निग्रह भी होता है।

जब नव दम्पत्ति प्रथम बार सन्तान कामना का विचार कर सहवास करते है तब उससे पूर्व फूल चौक नामक विधि का विधान किया है। इसमें नव दम्पत्ति स्नान, चन्दन लेप कस्तूरी सेवन करके सुरक्षित एकाकी वातावरण में यज्ञादि तथा देव पूजन का विधान करता है। गर्भिणी की इच्छा पुत्र अथवा पुत्री किसके जन्म की है, इसके आधार पर ऋतु–स्नान के आठवें दिन के पश्चात् मुहूर्त शोधन करके यह फूल चौक आयोजित होता है।

सन्तान कामना हेतु फूलचौक पूजन होता है ऋतु–स्नान के आठवें दिन के बाद शुभदिन पर यह विधान किया जाता है। लोक मान्यता है यदि स्त्री पुत्री चाहती है तो सहदेवी बूटी तथा पुत्र की इच्छा रखने पर लक्ष्मण बूटी का सेवन करे। वर्तमान मे यह परम्परा लगभग समाप्त हो गई है। विवाह मे प्रथम रात्रि मिलन के दिन ही शैया के नीचे चौक पूर कर पूजन करा दिया जाता है।

2 पुन्सवन सन्स्कार

(गर्भाधान सन्स्कार का समय क्या है, पुन्सवन सन्स्कार गर्भ धारण के तीन माह बाद)गर्भ धारण के बाद इस सन्स्कार को मनाया जाता है। इस समय वधु के मायके से नाना प्रकार की सामग्री आती हैं। और परिवार की कुल रीति के हिसाब से यह सन्स्कार सम्पन्न होता है। इस सन्स्कार में गांव के आसपास की, पड़ोस की औरतें, घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां शामिल होती हैं और अपने स्मृति के अनुसार लोक गीत गाए जाते हैं। एक उदाहरण है

दुलैया चौके आई
सोने के दिया जगाऔ, दुलिया चौके आई।
चन्दन चौक पुराओ
दुलिया चौकें आई।।

बम्मन बुलाओ, पतरा दिखाओ,
गुन के गनित लगाओ।
दुलैया चौक आई।।
सहदेई लखना, लखुरिया ल्याओ,
देउरा गिन दिन वार बताओ।
दुलैया चौक आई।।
चन्दा छौरो, सूरज छौरो शुक्कुरवार बचाऔ।
दुलैया चौक आई।।

गर्भधारण का निश्चय हो जाने के पश्चात् शिशु को पुन्सवन नामक सन्स्कार के द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। सन्स्कार शब्दावली में इसे पुन्सवन सन्स्कार कहते हैं। इसका अभिप्राय पुं–पुमान् (पुरूषों) का सवन (जन्म हो)।

पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुन्सवनमीरितम् –वीरमित्रोदय

गर्भधारण का निश्चय हो जाने के तीसरे मास से चतुर्थ मास तक इस सन्स्कार का विधान बताया जाता है। अधिकान्श स्मृतिकारों ने तीसरा माह ही गृहीत किया है।

तृतीये मासि कर्तव्यं गृष्टेरन्यत्रा शोभनम्।
गृष्टे चतुर्थमासे तु षष्ठे मासेऽथवाष्टये। – वीरमित्रोदय

यह सन्स्कार चन्द्रमा के पुरुष नक्षत्रा में स्थित होने पर करना चाहिए। सामान्य गणेशार्चनादि करने के बाद गर्भिणी स्त्री की नासिका के दाहिने छिद्र में गर्भपोषण संरक्षण के लिए <u>लक्षणा, बटशुङ्ग, सहदेवी</u> आदि औषिधयों का रस छोड़ना चाहिए। सुश्रत नें सूत्र स्थान में कहा है

सुलक्षणा–वटशुङ्रग, सहदेवी विश्वदेवानाभिमन्यतमम् क्षीरेणाभिद्युष्टय त्रिचतुरो वा
विन्दून दद्यात् दक्षिणे नासापुटे सुश्रुत संहिता। +4

उपर्युक्त प्रक्रिया से जाहिर है कि इस सन्स्कार में वैज्ञानिक विधि का आश्रय है। जिससे शिशु की पूणर्ता प्राप्त हो और उसकी सर्वाङ्ग रक्षा हो।

गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह सन्स्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस सन्स्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने सन्तानोत्कर्ष के उद्देश्य से किये जाने वाले इस सन्स्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से सम्बन्धित इस सन्स्कार को शुभ नक्षत्र में सम्पन्न किया जाता है। पुन्सवन सन्स्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवम् उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवम् ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भधान करना उचित माना गया है।

प्रथम बार गर्भिणी होने पर पुन्सवन सन्स्कार विधान गर्भ से दूसरे या तीसरे माह किया जाता है। स्त्री के गर्भवती होने के पश्चात् परिवार व रिश्तेदारों को निमन्त्रण भेजकर वंश–वृद्धि की अग्रिम सूचना दी जाती है। गर्भवती स्त्री को चौक पर बैठाकर हवन–पूजन कराया जाता है। गर्भिणी को सलाह दी जाती है कि आगन्नौ या *<u>अगन्ना</u>* होने के पश्चात् ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, <u>गिलोय, केशर, कस्तूरी</u> आदि का सेवन करें।

<u>3 सादें/सीमन्तोन्नयन (सीमंत) सन्स्कार</u>

गर्भ का तृतीय सन्स्कार सीमन्तोन्नयन है। इस सन्स्कार में गर्भिणी स्त्री के केशों(सीमन्तों) को ऊपर करना।

सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनम् – वीरमित्रोदय

विधि– किसी पुरुष नक्षत्र में चन्द्रमा के स्थित होने पर स्त्री पुरुष को उस दिन फलाहार करके इस विधि को सम्पन्न किया जाता है। गणेशार्चन, नान्दी, प्रजापत्य आहुति देना चाहिए। पत्नी अग्नि के पश्चिम आसन पर आसीन होती है और पति <u>गूलर के कच्चे फलों का गुच्छ, कुशा, साही के कांटे</u> लेकर उससे पत्नी के केश संवारता है। महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए।

अयभूर्ज्ज स्वतो वृक्ष ऊज्जर्वेव फलिनी भव पा गृ सूत्र

इस अवसर पर मन्गल गान, ब्राह्मण भोजन आदि कराने की प्रथा थी।

सीमन्तोन्नयन को सीमन्तकरण अथवा सीमन्त सन्स्कार भी कहते हैं। सीमन्तोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य सम्पन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ–साथ गर्भस्थ शिशु एवम् उसकी माता की रक्षा करना भी इस सन्स्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस सन्स्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिये सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह सन्स्कार गर्भ धारण के छठे अथवा आठवें महीने में होता है।

जब किसी गर्भवती के गर्भ में संतान प्राप्ति होती है और जन्म का समय नजदीक आता जाता है अर्थात गर्भ धारण किए हुए 8या 9माह बीत जाते हैं, उस समय यह सन्स्कार सम्पन्न होता है। कुटुम्ब की स्त्रियां गर्भवती महिला के साथ विविध प्रकार की पूजा पाठ सम्पन्न करती हैं। बहू के मायके से अनेक प्रकार के पकवान आते हैं, जो गर्भवती स्त्री के खाने योग्य होते हैं। इस अवसर पर विविध प्रकार के लोकगीत गाने की भी प्रथा है साथ ही देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। कुटुम्ब की स्त्रियां कुछ इस तरह का लोकगीत गाती हैंः–

ऐसी किरपा कब करहैं भगवान।
मेरे आंगन बजै बधाऔ
पिया हम नौरंगिया की साद, नौरंगिया हमें तोड़ ले आओ रे।
गोरी गैल में भूसे कुत्ता द्वारे पहरुआ, द्वारे पहरुआ रे। (गोरी गली में भोंके कुत्ता द्वारे पहरा।)
धना बागन हैं रखवारे, नौरंगिया कैसे तोड़ ल्याव रे।
पिया हम ....
पिया कुत्तन को डारौ कलेवा, पहरुअन मांद रे।
पहरुअन मांद रे।
राजा सोय जांय रखवारे, नौरंगिया हमें तोड़ ल्याव रे।

गर्भधारण करने के सातवें व आंठवें माह ''सादें'' होती हैं। इस रीति को ''सादें'' या ''सादन का चौक'' भी कहते हैं। सातवें महिने में इस अवसर पर गर्भवती स्त्री को रुचि विशेष ''साध'' के अनुसार भोज्य पदार्थ खिलाना परिजनों का दायित्व माना जाता है। इस अवसर पर गर्भिणी स्त्री के मायके से आभूषण, सूप, बाँसुरी, नौ प्रकार की मिठाई, नौ प्रकार के पकवान, दलिया के वास्ते कठिया गेहूँ, घी, मेवा, गुड़ आदि आता है।

बाल्यावस्था के सन्स्कार

<u>4 शिशु जन्म/जातकर्म सन्स्कार व मां</u>

परिवार में शिशु जन्म को बुन्देलखण्ड मे ''भऔ'' कहते है। जिस वर्ष परिवार में शिशु जन्म या विवाह होता है। उस वर्ष को यहाँ के लोग ''भय–ब्याह की साल'' कहते है। उस वर्ष के सभी त्यौहार विशेष हर्ष–उल्लास पूर्वक मनाये जाते हैं। बच्चे के जन्म के पूर्व प्रसव कक्ष के बाहर मन्गल गीत गाये जाते है। इन गीतों में भवान से प्रार्थना होती है कि गर्भिणी स्त्री को प्रसव पीड़ा सहने का सामर्थ्य व स्वस्थ शिशु को जन्म प्रदान करें। गाये जाने वाली अचरी निम्न है।

आम घने महुआ घने बिच–बिच घने है अनार

नौ माह पूर्ण होते ही शिशु जन्म होता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे ''बसोर'' जाति की दाई शिशु जन्म कराती है। <u>हरेरा(अजवाइन, सौंठ, गुड, पीप्पल, हल्दी पीस कर, घी में भून कर, पानी युक्त गुड मिलाकर)</u> पीने को दिया जाता है। आठ दिन तक बसोर दाई जच्चा–बच्चा की सेवा करती है। यह ''बसोर की सोर'' कहलाती है।

शिशु जन्म को ही ले लें। शिशु जन्म के तुरन्त, पश्चात् सोहर गृह (प्रसव कक्ष) में अजवायन का धुंआ देने की परम्परा है। अजवायन का आयुर्वेदीय गुण पर्यावरण का शोधन तथा वातावरण को गर्म बनाये रखने का है जो उस समय की आवश्यकता होती है।

शिशु जन्म के पश्चात् जच्चा को तुरन्त, गुड़ को देशी घी में उबालकर बनाया गया, हरीरा पिलाया जाता है। तदनन्तर गुड़ बर्फी (सिठौरा) तथा गुड़ से बने सोंठ बिस्वार के लड्डू खिलाये जाते हैं। सुदूर गांव में, शिक्षा की किरण से दूर अनपढ़ दादी मां यह कहां जानती हैं कि प्रसव के दौरान हुये रक्त स्राव से शरीर में रक्त की जो न्यूनता हुई है उसकी प्रतिपूर्ति सर्वाधिक लौहतत्व से भरपूर गुड़ सहज कर सकता है। पुनश्च, यह हर जगह उपलब्ध है। वह दादी मां तो हरीरा सिठौरा या लड्डू, बहू को इसलिये खिलाती हैं क्योंकि उसके परिवार और समाज में पीढ़ियों से ऐसा होता आया है।

जच्चा को पीपरामूर नामक जड़ी बूटी चूसने को दी जाती है। यह लड्डुओं में तथा अन्य रुप में भी दी जाती है। प्यास कम करने से लेकर अन्य अनेक विशिष्टताओं से समन्वित पीपरामूर घर की धिनौची (बगिया) में ही पैदा करने की लोक परम्परा है। एक लोक गीत की पंक्ति है–

घिनौंचिन पीपर महाराज।

इस प्रकार इस आयुर्वेदीय औषधि को घर में ही उत्पादित करके उसकी उपलब्धता सहज हो जाना सुनिश्चित किया जाता है।

कहीं कहीं शिशु जन्म के दूसरे दिन पन्डित जन्म का नक्षत्र विचार कर जन्मांग बनाते है। जन्मांग को लकड़ी की तख्ती/पट्टी पर लिख कर चारपाई के नीचे रखा जाता है। फिर नाम रखते हैं। तख्ती/पट्टी पर राशि का नाम लिख दिया जाता है। इस विधि–विधान को ''खरी पटा'' या ''नामकरण'' कहते है। इस अवसर पर पुरूषों को बुलौआ लगाकर गुड़ या लडुआ बाटा जाता है।

जच्चा का प्रथम स्नान

जच्चा का प्रथम स्नान लगभग एक सप्ताह बाद नीम और जडी बूटियों युक्त गर्म पानी से स्नान कराया जाता है। जो कीटाणुनाशक माना जाता है। लगभग एक सप्ताह तक नाइन सेवा करती है, इसे ''नाइन की सोर'' कहते हैं।

सर्वरोग हरं निम्बं की गुणवत्ता भावप्रकाश निघण्टु में
निम्ब पत्रम् स्मृतं नेत्रं कृमि पित्त विष प्रणुत

लिखकर बताई गई है। उसी दिन जनन अशौच के शुद्धीकरण हेतु प्रसव कक्ष गोबर से लीपा जाता है तथा अजवायन का धुंआं प्रतिदिन जारी रहता है। गोबर के गुणों में कृमि–नाशकता तथा देशजता से सभी परिचित हैं। जन सामान्य जानता है।

चरुआ–चढ़ाना

प्रसवोपरान्त लगभग एक माह तक जच्चा को चरुआ का पानी पिलाने की लोक परम्परा है। चरुआ मिट्टी का घड़ा होता है। उसमें जल भरकर, दशमूल जड़ी बूटियां तथा वनस्पतियां डालकर इतना उबाला जाता है कि पानी छनक कर आधा रह जाय। इसे ठण्डा करके जच्चा को पिलाया जाता है। विज्ञान सम्मत इस प्रयोग को समारोह–पूर्वक किया जाता है। पुरा–पड़ोस की महिलाओं को बुलौआ देकर बुलाया जाता है। चरुआ को गोबर तथा जौ के दानों से अलन्कृत किया जाता है। चरुआ–चढ़ाने के बुलौआ का बटौना बान्टा जाता है। विज्ञान के अनुष्ठान का लोक सम्मान परम्परा बन गया है।

उसी दिन घर के बाहर गोबर से लीपी गई दीवाल पर गोबर से एक चक्राकार सान्तिया बनाकर उस पर जौ के दानों की नोक बाधाओं के मुकाबले की प्रतीक तथा जौ धन–धान्य एवम् समृद्धि का प्रतीक है। चक्राकार सान्तिया गतिशीलता तथा प्रगति का प्रतीक है। यह विघ्नहर्ता गणेश का लिपीय स्वरुप है।

जातक के जन्म ग्रहण के पश्चात पिता पुत्र मुख का दर्शन करे और तत्पश्चात नान्दी श्राद्धावसान जातकर्म विधि को सम्पन्न करे

जातं कुमारं स्वं दृष्ट्वा स्नात्वाऽनीय गुरुम पिता।

नान्दी श्राद्धावसाने तु जातकर्म समाचरेत्।। +5

विधि– पिता स्वर्णशलाका या अपनी चौथी अंगुली से जातक को जीभ पर मधु और घृत महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ चटावें। गायत्री मन्त्र के साथ ही घृत बिन्दु छोड़ा जाय। आयुर्वेद के ग्रंथों में जातकर्म विधि का विधान चर्चित है कि पिता बच्चे के कान में दीर्घायुष्य मन्त्रों का जाप करे। इस अवसर पर लग्नपत्र बनाने और जातक के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त करने की प्रथा है और तदनुसार बच्चे के भावी सन्स्कारों को भी निश्चित किया जाता है।

अन्य यह सन्स्कार विशेष मन्त्रों एवम् विधि से किया जाता है। दो बूंद घी तथा छह बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमन्त्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा नौ मन्त्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवम् दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है।

परिवार में शिशु जन्म को बुन्देलखण्ड मे ''भऔ'' कहते है। जिस वर्ष परिवार में शिशु जन्म या विवाह होता है। उस वर्ष को यहाँ के लोग ''भय–ब्याह की साल'' कहते है। उस वर्ष के सभी त्यौहार विशेष हर्ष–उल्लास पूर्वक मनाये जाते हैं। बच्चे के जन्म के पूर्व प्रसव कक्ष के बाहर मन्गल गीत गाये जाते है। इन गीतों में भगवान से प्रार्थना होती है कि गर्भिणी स्त्री को प्रसव पीड़ा सहने का सामर्थ्य व स्वस्थ शिशु को जन्म प्रदान करें। गाये जाने वाली अचरी निम्न है।

आम घने महुआ घने बिच–बिच घने है अनार

<u>जन्म के समय प्रचलित रीति–रिवाज</u>

<u>5 नामकरण सन्स्कार</u>

जन्म के ग्यारहवें दिन यह सन्स्कार होता है। धर्माचार्यो ने जन्म के दस दिन तक अशौच (सूतक) माना है। इसलिये यह सन्स्कार ग्यारहवें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकाण्डी विद्वान इस सन्स्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं।

नामकरण एक आवश्यक महत्वपूर्ण सन्स्कार है। जीवन में व्यवहार का सम्पूर्ण आधार नाम पर ही निर्भर होता है।

नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः
नाम्नैव कीर्तिं लभेत मनुष्यस्ततः प्रशन्तं खलु नामकर्म।

उपर्युक्त स्मृतिकार बृहस्पति के वचन से प्रमाणित है कि व्यक्ति संज्ञा का जीवन में सर्वोपरि महत्व है अतः नामकरण सन्स्कार हिन्दू जीवन में बड़ा महत्व रखता है। प्रायः बालकों के नाम <u>सम अक्षरों</u> में रखना चाहिए। महाभाष्यकार ने व्याकरण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए नामकरण सन्स्कार का उल्लेख किया है।

बालक के नामकरण में तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे।

(1 शब्द रचना
(2 तीन पुस्त के पुरखों के अक्षरों का योग
(3 तद्धितान्त नहीं होना चाहिए अर्थात विशेषणादि नहीं कृत् प्रत्यान्त होना चाहिए।

बालिकाओं के नामकरण के लिए तद्धितान्त नामकरण की विधि है। बालिकाओ ंके नाम विषमाक्षर में किये जायें और वे आकारान्त या ईकारान्त हों। उच्चारण में सुखकर, सरल, मनोहर मङ्गलसूचक आशीर्वादात्मक होने चाहिए।

खरी पटा/नामकरण –

शिशु जन्म के दूसरे दिन पन्डित जन्म का नक्षत्र विचार कर जन्मांग बनाते है। जन्मांग को लकड़ी की तख्ती/पट्टी पर लिख कर चारपाई के नीचे रखा जाता है। तख्ती/पट्टी पर राशि का नाम लिख दिया जाता है।

इस विधि–विधान को ''खरी पटा'' या ''नामकरण'' कहते है। इस अवसर पर पुरूषों को बुलौआ लगाकर गुड़ या लड्डुआ बाटा जाता है।

छठी– शिशु जन्म के छठवें दिन छठी मनाई जाती है। बुन्देलखण्ड में उस दिन समूंदी भोजन बनाया जाता है। प्रियजनों तथा रिश्तेदारों को भोजन के लिए आमन्त्रित किया जाता है। जो व्यक्ति छठी का चावल खाते हैं, उन्हें शिशु को नाम लेकर पुकारने का अधिकार मिल जाता है। कम उम्र का व्यक्ति अपने से बड़ों का नाम नहीं लेता है। अगर कोई छोटा व्यक्ति बड़े उम्र वाले व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता है तो कहते हैं–

''का तुमने छठी के चाँवर खाय, सो नाम लै रये"

<u>6 दस्तौन/निष्क्रमण सन्स्कार/बरहों –</u>

प्रथम बार शिशु के सूर्य दर्शन कराने के सन्स्कार को निष्क्रमण कहा गया है।

ततन्तृतीये कर्तव्यम् मासि सूर्यस्य दर्शनम्।
चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोश्चन्द्रश्य दर्शनम्।।

अनेक स्मृतिकारों ने चतुर्थ मास स्वीकार किया है। इस सन्स्कार के बाद बालक को निरन्तर बाहर लाने का क्रम आरम्भ किया जाता है। विधि भलीभांति अलन्कृत बालक को माता गोद में लेकर बाहर आये और कुल देवता के समक्ष देवार्चन करे। पिता पुत्र को तच्चक्षुर्देव ....आदि मन्त्र का जाप करके सूर्य का दर्शन करावे गीत, मन्गलाचरण और बालक के मातुल द्वारा भी आशीर्वाद दिलाया जाय।

अभिप्राय––– दैवी जगत् से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्माजी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे यही इस सन्स्कार का मुख्य उद्देश्य निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस सन्स्कार में शिशु को सूर्य तथा चन्द्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चन्द्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी–देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवम् यशस्वी जीवन के लिये आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस सन्स्कार को करने का विधान है। तीन माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है इसलिये प्रायः तीन मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे–धीरे उसे बाहरी वातावरण के सम्पर्क में आने देना चाहिए। इस सन्स्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के सम्पर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो।

दसवें दिन दस्तौन मनाया जाता है। इस दिन सारे रिश्तेदारों, पास पड़ोस के परिवारों का आमंत्रित किया जाता है। भोजन के साथ–साथ मन्गल गायन –<u>*(सोहरे, बधाव गीत)*</u> आदि गाये जाते हैं।

विधि विधान्पूर्वक चौक पूरकर प्रसूता का पूजन किया जाता है। इसके बाद शिशु के कान में ''कू'' करने की परम्परा है। बच्चे के कान में तीन बार हल्की सी फूक लगाकर कू कही जाती है। धीमे–धीमे परिवार के सभी सदस्यों के नाम उसके कान में कहे जाते हैं। बुन्देलखण्ड में इस रीति को ''कानाबाती'' कहते हैं।

दस्टौन के दिन प्रसूता का पूजन होता है। बुआ को फूल या कांसे धातु की थाली दी जाती है, जिस पर काजल पार/बना कर वह शिशु को लगाती है। प्रसूता की गोद मे आटे से बने फरा, चन्दा, सूरज और बतासा डाले जाते है। संभवतः भाव यह है कि पुत्र जन्म देने से उसकी गोद मे सम्पूर्ण विश्व आ गया। दस्टौन का पूजन मातृत्व का पूजन होता है।

दस्टौन की ''पंगत'' (दावत) मे ''संमूदी रसोई'' (दाल–भात, कढी, रोटी, बरा, फरा, गोरस इत्यादि) बनाई जाती है। बच्चे के कान मे तीन बार ''कू'' बोल कर वंश के सभी सदस्यों के नाम बोले जाते हैं इसे लोक भाषा मे ''काना बाती कू'' कहते है। शिशु जन्म के एक माह पश्चात् कुआ पूजन होता है। घर से कुँऐ तक रास्ते मे छह चौक पूरे जाते हैं सब पर दीपक जलाया जाता है सातवाँ चौक कुआ के घाट पर बनाया जाता है। उन चौकों पर पैर रखती हुई प्रसूता कुआ पूजन कर के पानी की गगरी भरती है। अपने स्तन का दूध कुए मे इस भाव से डालती है कि जिस प्रकार कुआ जल से भरा रहता है, उसी प्रकार मेरे स्तनों मे दूध रहे जिसे पीकर शिशु स्वस्थ हो। घर आने पर देवर गगरी

उतारता है। यदि किसी परिवार मे बच्चे जन्म के पश्चात् जीवित नहीं रहते तब शिशु जन्म पर छितरिया (बाँस की डलिया) कढ़ोरी (खींची) जाती है। उसमे बच्चे को लिटाकर किसी पुत्रवती स्त्री को सौंप दिया जाता है। वह स्त्री धर्म–माँ बन जाती है। झूला डालते समय कुछ परिवारों मे रक्कस बाबा का रक्कस चढाया जाता है

''निष्क्रमण सन्स्कार''/बरहों के रूप मे शिशु को आँगन मे लाकर सूर्य दर्शन कराया जाता है। आँगन मे गोबर का प्रतीकात्मक कुआँ बनाया जाता है। उसमे दूध तथा ''कांय'' डाली जाती है। ननद प्रसूता को जवारी (जवा, मखाना सुपारी से बनी माला जिसके बीच मे नारियल का गोला पड़ा रहता है) पहनाती है। लोकाचारो मे सभी का कार्य निश्चित रहता है जिसका नेग भी वे अधिकार समझ कर प्राप्त कर लेते हैं। आपसी प्रेम और अपनापन प्रदर्शित करने का यह भी एक तरीका है। सास ''चरूआ'' (प्रसूता के पीने का जडी–बूटी युक्त पानी उबालने का मिट्टी का घडा) रखती है। ननद ''भये के सांतियाँ'' गोबर से प्रसूति गृह के मुख्य द्वार पर बनाती है। जेठानी गुड, घी मेवे और सोंठ के पौष्टिक लडडू (सिठौरा) बनाती है। देवर निष्क्रमण के समय बाँसुरी बजाता है।

कुआ पूजन

शिशु जन्म के *मसवारी* स्नानोपरान्त मुहूर्त शोधन करके प्रसूता घर के बाहर कुआ पूजने जाती हैं। घर से कुए तक के मार्ग में छह चौक पूरे जाते हैं। सातवाँ चौक कुआ के घाट पर पूरा जाता है। इन सभी चौकों पर पैर रखती हुई कुए तक जाती है। कुए का पूजन कर सभी स्त्रियां मन्गलगान करती हुई घर लौट आती हैं। जच्चा सिर पर पानी की भरी गागर रखकर घर के द्वार पर तब तक खड़ी रहती है जब तक देवर सिर से गगरी न उतार दे। देवर गगरी उतारने का नेग माँगता है। देवर कुआ पूजन के समय गगरी उतारता है तथा निष्क्रमण के समय बांसुरी बजाता है। पुरा–पड़ोस की महिलायें मन्गलगीत गाती हैं। उन्हे बतासा या लडडू बान्टें जाते है।

इस कार्यक्रम के पश्चात् प्रसूता स्त्री को गृहकार्य की अनुमति दे दी जाती है।

रक्कस

कुछ परिवारों मे रक्कस बाबा का रक्कस चढाया जाता है। यह रक्षक शब्द का अपभ्रन्श है। यह पारिवारिक पूजा होती है। जिसके यहाँ रक्कस की पूजा नहीं होती वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं करता है। झूले का सामान बुआ लेकर आती है वह नेग लेने के लिये नई साड़ी से झूला डालती है फिर वह साड़ी उसी की हो जाती है। ''चंगेर''/चंगिलिया (बाँस की डलिया) को कलात्मक ढंग से सजाकर उसमे बच्चे के लिये कपड़े, सोने–चाँदी के आभूषण, (हाय, चूरा, तबिजिया, दुधियां आदि) खिलौने रख कर ग्राम देवी को स्पर्श करा के बुआ ''चंगेर'' सिर पर रख कर पूरे गाँव मे घूमती हैं। इसे चंगेलिया भी कहते है। चंगेर मे लोग व्यवहार के रूपये डालते हैं जो बुआ के होते हैं। वर्तमान में स्थान का स्थान पालने ने ले लिया है।

उपरोक्त सभी अवसरों के बुन्देली रसयुक्त लोकगीत होते हैं, जो ढ़ोलक और मन्जीरे की सन्गत के साथ वातावरण को आनन्दित करते हैं। बच्चे का मुण्डन सन्स्कार कुलदेवी या कुल–देवता के मन्दिर पर होता है। आसें (आटे के सात पुआ) बच्चे के हाथ मे देकर, चौक पर बिठाते हैं। बुआ बच्चे की झालर (कटे हुए बाल) एक आटे की लोई मे दबाती जाती है। बुआ को आसें (आटे के सात पुआ) और नेग दिया जाता है।

बुन्देलखण्ड के कुछ परिवारों में बच्चे के जन्म के समय छितरियाँ कढोरी जाती है। छितरियाँ बाँस की एक डलिया होती हैं। कुछ परिवारों में ''रक्कस बाबा'' का रक्कस चढ़ाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की रीति है। रक्कस के पूजन के लिए कोरा बनाए जाते है। पूजन के बाद नारियल तोड़कर उसके टुकड़े सभी कोरों पर रख देते है। कोर केवल परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। नारियल प्रसाद उन लोगों को भी दिया जाता है जिनके यहां रक्कस की पूजा होती है। जिस बच्चे के जन्म पर रक्कस पूजा हाती है, उसे रक्कसिया कहा जाता है।

मूल नक्षत्र

शिशु जन्म मूल नक्षत्र में होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए मूल नक्षत्र के प्रभाव को कम करने के लिए बच्चे के मूल उतारे जाते है। मूल उतारने के लिए जोशी व पन्डित घर बुलाए जाते है। जोशी को बालक का पिता अपने हाथों से वस्त्र, पादुकायें, मिठाईया, अन्न, सोना एवम् चान्दी आदि दान देते है। ब्राह्मणों, प्रियजनों को भोजन कराया जाता है। शनिदेव का हवन किया जाता है।

7 अन्नप्राशन सन्स्कार

विधिपूर्वक बालक को प्रथम भोजन कराने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों में भी एतत् सम्बन्धी मन्त्र उपलब्ध होते है। माता के दूध से पोषित होने वाले बालक को प्रथम बार अन्नप्राशन कराने का प्रचलन प्रायः प्राचीन काल से ही है जो एक विशेष उत्सव के रूप में सम्पन्न किया जाता है।

विधि– ~~हमारे आचार्यो ने बालक के पहले, तीसरे या पांचवें वर्ष में इस सन्स्कार को करने का विधान बताया है।~~ अन्नप्राशन सन्स्कार के दिन सर्वप्रथम यज्ञीय भोजन के पदार्थ वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के साथ पकाये जायें। भोजन विविध प्रकार के हों तथा सुन्वादु हों। मधु, घृत, पायस से बालक को प्रथम कवर (ग्रास) दिया जाय। पद्धतियों में एतत् सम्बन्धी मन्त्र उपलब्ध है। गणेशार्चन करके व्याहृतियों से आहुति देकर एतत् सम्बन्धी ऋचाओ से हवन करके तत्पश्चात् बालक को मन्त्रपाठ के साथ अन्नप्राशन कराया जाय पुनः यथा लोकाचार उत्सव सम्पन्न किया जाय।

बच्चे के जन्म के बाद स्त्री जब अपने मायके जाती है तब वहाँ पर यह कार्यक्रम होता है। इसे लोक भाषा में पासनी कहते है। शिशु का मामा या नाना पासनी करवाता है। एक कटोरे में खीर, दूध, चावल रखकर चम्मच से बच्चे को चटाते है। सम्पन्न परिवारों में चान्दी से पासनी कराना शुभ मानते है। परिवार के आर्थिक स्तर के मुताबिक चान्दी, पीतल एवम् स्टील आदि के बर्तन इस शुभ अवसर पर बच्चे को उपहार में देने का रिवाज बुन्देलखण्ड में प्रचलित है।

8 मुण्डन/चूडाकरण (मुन्डन) सन्स्कार

मुन्डन सन्स्कार के संदर्भ में वैदिक ऋचाओ, गृह्यसूत्रों एवम् स्मृतियों में मन्त्रों, विधि प्रयोग, समय निर्धारण के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा मिलती है। पद्धतियों में इसका समावेश किया गया है। तदपि लोकाचार कुलाचार से अनेक भेद दिखाई देते है। अनेक कुलों में मनौती के आधार पर मुण्डन किये जाते है किन्तु मुहूर्त निर्णय के लिए सभी ज्योतिष का आधार प्रायः स्वीकार करते है। मुण्डन में विधिपूर्वक शास्त्रीय आचार केवल उपनयन कराने वाले कुलों में उसी समय किया जाता है जबकि शास्त्रीय विधान दूसरे वर्ष से बताया गया है।

शिखा की व्यवस्था

मुण्डन सन्स्कार के कौल और शात्रीय आचार तो किये जाते है किन्तु शिखा रखने की प्रथा का प्रायः उच्चाटन होता जा रहा है। जबिक शिखा का वैज्ञानिक महत्व है और छात्रों में शिखाहीन होना गंभीर प्रायश्चित कोटि में आता है।

चूड़ाकरण का शास्त्रीय आधार था दीर्घायुष्य की प्राप्ति। सुश्रुत ने (जो विश्व के प्रथम शीर्षशल्य चिकित्सक थे) इस सम्बन्ध में बताया है कि मस्तक के भीतर ऊपर की ओर शिरा तथा सन्धि का सन्निपात है वहीं रोमावर्त में अधिपति है। यहां पर तीव्र प्रहार होने पर तत्काल मृत्यु संभावित है। शिखा रखने से इस कोमलांग की रक्षा होती है।

मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात् शिरासम्बन्धिसन्निपातो
रोमावर्त्तोऽधिपतिस्तत्रापि सद्यो मरणम्

सुश्रुत श. स्थान

विधि विधान– गणेशार्चन, अग्निस्थापन–पद्द्रचवारूणीहवन–नन्दी के बाद पिता केशों का सन्स्कार यथाविधि करके स्वयम् मन्त्रोपाठ करता हुआ केश कर्तन करता है और उनका गोमयपिन्ड में उत्सर्ग करता है। पुनः दही उष्णोदक शीतोदक से केशों को भिगोता और छुरे को अभिमन्त्रित करके नापित को वपन(मुण्डन) का आदेश देता है।

यह कार्यक्रम कुलदेवता या इष्ट देवता के समीप या किसी स्थल पर किया जाता है। बुन्देलखण्ड में रतनादेवी, उन्नाव में बालाजी, सैदनगर, ओरछा आदि ऐसे स्थान है जहां बालकों का मुण्डन कराते है। बच्चे के जन्म के लगभग एक वर्ष बाद बालकों का मुण्डन सन्स्कार होता है। जन्म के बाद सिर पर जो बाल निकलते हैं उन बालों को ''झालर'' कहते हैं। मुण्डन के समय बच्चे का पूजन किया जाता है। इसके पश्चात् नाऊ धीमे–धीमे अपना छुरा चलाता है। बच्चे की बुआ काटे गये बालों को गीले आटा या बेसन की लोई में लपेटती जाती है तथा उसे मन्दिर में चढ़ाकर जलाशय या नदी में विसर्जन कर देती है। मुण्डन के पश्चात् पवित्र स्थल का पूजन एवम् नारियल तोड़ा जाता है। घर आने पर "बुलौवा" लगाकर आस–पड़ोस में मिठाईयाँ या बताशे बान्टे जाते हैं।

9 कर्णछेदन/कर्णवेध सन्स्कार

आभूषण पहनने के लिए विभिन्न अंगों के छेदन की प्रथा सम्पूर्ण सन्सार की असभ्य तथा अर्धसभ्य जातियों में प्रचलित है। अतः इसका उद्भव अति प्राचीन काल में ही हुआ होगा।

आभूषण धारण और वैज्ञानिक रूप से कर्ण छेदन का महत्व होने के कारण इस क्रिया को सन्स्कार रूप में स्वीकारा गया होगा। कात्यायन सूत्रों में ही इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सुश्रुत श. ने इसके वैज्ञानिक पक्ष में कहा है कि कर्ण छेद करने से अन्डकोष वृद्धि अन्त्रा वृद्धि आदि का निरोध होता है। अतः जीवन के आरम्भ में ही इस क्रिया को वैद्य द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए।

शङ्खो परि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीयम्
व्यत्यासाद्वा शिरां विघ्येद् अन्त्राबृद्धि निवृत्तये सुश्रुत श. स्थान

भिषग्वामहस्तेन विध्येत् , सुश्रुत संहिता में षष्ठ अथवा सप्तम मास में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में वैद्य द्वारा माता की गोद में मधुर खाते बालक का आवश्यक निपुणता से कर्ण वेध करना चाहिए जब कि बृहस्पति जन्म से 10, 12, 16वें दिन करने को कहते है।

विधि वर्तमान बालिकाओं का कर्ण वेध तो आभूषण धारण के लिए अनिवार्यतः होता है किन्तु पुरूष वर्ग के वेध का प्रतीकात्मक ही सन्स्कार हो पाता है। गणेशार्चन, हवन आदि करके निम्न मन्त्रों से क्रमशः दक्षिण तत्पश्चात् वाम कर्ण की वेध की क्रिया सम्पन्न की जाती है

भद्रं कर्णेभिः..........आदि मन्त्रों से सम्पन्न किया जाय।

बुन्देली लोकजीवन में भी एक सन्स्कार है कर्णछेदन। कान और अथवा नाक के कुछ बिन्दुओं को छेदा जाता है। यह भी समारोह पूर्वक मनाया जाता है।

यह सन्स्कार आज सुविकसित एक्यूप्रेसर चिकित्सा प्रणाली का लोक सन्स्करण है। इसी भांति विवाहोपरान्त महिलाओं को बिछिया पहनाने अथवा सन्यासी बनने पर खड़ाऊँ पहनने का विधान है। पैर की कुछ अंगुलियों विशेषकर अंगूठे के पास की अंगुली का सम्बन्ध कामोत्तेजना पैदा करने वाली नसों से है। बिछिया पहनने अथवा खड़ाऊँ पहनने से उस बिन्दु पर दबाव बनता है। कान पर जनेऊ चढ़ाने से मूत्र नलिकाओं पर दबाव बनता है। अतः लघुशंका अथवा शौच जाते समय जनेऊ चढ़ाने का लोक विधान है। जो जातियां जनेऊ नहीं पहनती हैं, वह शौच जाने के पूर्व अंगौछा सिर के ऊपर इस प्रकार बाधते हैं कि सिर के ऊपर की संबंधित नसें दबी रहें। इससे पेशाब या शौच खुलकर होती है।

इसी प्रकार मस्तक पर टीका लगाने से आज्ञा–चक्र जागृत होता है। इससे इन्द्रिय निग्रह होता है। पूजा पर बैठने के पूर्व मस्तक पर चन्दन लगाने की लोक परम्परा है। इससे शीतलता ओर सुरभित वातावरण मिलता है।

इस सन्स्कार को ''कंछेदन'' भी कहते हैं।

रिश्तेदारों एवम् परिवार के सदस्यों को एकत्रित करके सभी बालक का मुह मीठा कराके स्वर्णकार को बुलाते है।

सुनार सोने या चान्दी की मोटी सुई में रेशम का धागा डालकर बच्चे के कान को छेदता है। बच्चो को बाली पहनाई जाती है। महिलाऐं ढोलक, मन्जीरा आदि वाद्यों के साथ लोकगीत गाते हुए समारोहपूर्वक इस पर्व को मनाती है।

10 विद्यारम्भ/अक्षरारम्भ सन्स्कार

उपनयन और वेदारम्भ के पूर्व अक्षरों का सम्यक् ज्ञान अपेक्षित था और अक्षर ज्ञान के समय कुलाचार के अनुसार विधि विधान किये जाते थे। विधि परवर्ती सन्ग्रह ग्रंथों में इसकी विधि व्यवस्था ज्ञात है।

उत्तरायण सूर्य होने पर ही शुभ मुहूर्त में गणेश, सरस्वती, गृह देवता का अर्चन करके गुरू के द्वारा अक्षरारम्भ कराया जाय।

द्वितीय जन्मतः पूर्वामारभेदक्षरान् सुधीः। बी मि (बृहस्पति)

तन्डुल प्रसारित पट्टिका पर

श्री गणेशाय नम श्री सरस्वत्यै नमः, गृह देवताभ्योनमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः

लिखकर उसका पूजन कराया जाय और गुरु पूजन किया जाय और गुरु स्वयम् बालक का दाहिना हाथ पकड़कर पट्टिका पर अक्षरारम्भ करा दे। गुरु को दक्षिणा दान किया जाय।

11 यज्ञोपवीत/उपनयन सन्स्कार

भारतीय मनीषियों ने जीवन की समग्र रचना के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की जिससे मनुष्य को सहज ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो, किया गया प्रतीत होता है। ब्रह्मचर्य काल में धर्म का अर्जन एवम् गृहस्थ जीवन में अर्थ–काम का उपभोग हो। गीता के शब्दों में

धर्माविरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ

धर्मनियन्त्रित अर्थ और काम तभी संभव था जब प्रारम्भ में ही धर्म तत्वों से मनुष्य दीक्षित हो जाय। इसके बाद जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी यौवन काल में अभ्यस्त धर्म ही सहायक होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय में अन्योन्याश्रय प्रतीत होता है या दोनों आधाराधेय भाव से जुड़े है।

वर्तमान युग में उपनयन सन्स्कार प्रतीकात्मक रूप धारण करता जा रहा है। विरल परिवारों में यथाकाल विधिव्यवस्था के अनुरूप उपनयन सन्स्कार हो पाते है। एक ही दिन कुछ घन्टों में चूड़ाकरण, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ और केशान्त कर्म के साथ समावर्तन सन्स्कार की खानापूरी कर दी जाती है। बहुसंख्य परिवारों में विवाह से पूर्व उपनयन सन्स्कार कराकर वैवाहिक सन्स्कार करा दिया जाता है जबकि गृह्यसूत्रों के अनुसार विभिन्न वर्ण के लिए आयु की सीमा का निर्धारण किया गया है।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पद्द्रमचे
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे।

मनुस्मृति 2 अ 37

सत्रहवीं शताब्दी के निबन्धकारों ने परिस्थितियों के अनुरूप ब्राह्मण का 24 क्षत्रिय का 33 और वैश्य का 33 तक भी उपनयन स्वीकार कर लेते है।

बी मि भा 1 (347)

यौवन के पदार्पण करने के पूर्व किशोरावस्था में सन्स्कारित और दीक्षित करने का अनुष्ठान सार्वकालिक और विश्वजनीन है। सभी सम्प्रदायों में किसी न किसी रूप में दीक्षा की पद्धति चलती है और उसके लिए विशेष प्रकार के विधि विधानों के कर्मकाण्ड आयोजित किये जाते है। इन विधि विधानों के माध्यम से सन्स्कारित व्यक्ति ही समाज में श्रेष्ठ नागरिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से उपनयन सन्स्कार की परम्परा भारतीय मनीषा में स्थापित की थी।

वास्तव में उपनयन सन्स्कार आचार्य के समीप दीक्षा के लिए अभिभावक द्वारा पहुन्चाना ही इस सन्स्कार का उद्देश्य था। इसी लिए इसके कर्मकाण्ड में कौपीन, मौन्जी, मृगचर्म और दन्ड धारण करने का मन्त्रों के साथ संयोजन है। सावित्री मन्त्राधारण द्विज को अपने ब्रह्मचारी वेष में अपनी माता से पहली भिक्षा और फिर समाज के सभी वर्ग से

भिक्षाटन करने का अभ्यास इस सन्स्कार का वैशिष्ट्य है। इस व्यवस्था से ब्रह्मचारी को अपना प्रयोग समाज की सेवा के लिए करें।

इस परम्परा का उच्च वर्णों व ब्राह्मणों में उच्च विशेष महत्व है। कई परिवारों में विवाह के समय जनेऊ सन्स्कार होता है। ब्राह्मण बालकों में यह 6 वर्ष की आयु में होता है। जिस बालक का जनेउ होता है, उसे बरुआ कहते है। ब्राह्मणों मे यह कार्यक्रम विधि विधानपूर्वक आयोजित होता है।

12 वेदारम्भ सन्स्कार

इस सन्स्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रामाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। यह सन्स्कार प्रायः वसन्त पन्चमी को किया जाता है। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भन्डार हैं।

वेदारम्भ उपनयन सन्स्कार के बाद किया जाता है जो अब प्रतीकात्मक ही रह गया है। वास्तव में यह सन्स्कार मुख्य रूप से वेद की विभिन्न शाखाओ की रक्षा के लिए उसके अभ्यास की परम्परा से जुड़ा है। अपनी कुल परम्परा के अनुसार वेद, शाखा सूत्र आदि के स्वाध्याय की पद्धति थी। जिसे अनिवार्य रूप से द्विजातियों को उसका अभ्यास करना पड़ता था।

13 केशान्त सन्स्कार

केशान्त का अर्थ लम्बी अविध तक केशधारण करने वाले युवा ब्रह्मचारी का केश वपन। विधि पूर्वक मन्त्रोचारण के साथ यह गोदान के साथ सम्पन्न होता था। इस सन्स्कार के बाद ही ''युवक'' को गृहस्थ जीवन के योग्य शारीरिक और व्यावहारिक योग्यता की दीक्षा दी जाती थी।

गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह सन्स्कार सम्पन्न किया जाता था। वस्तुतः यह सन्स्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद–पुराणों एवम् विभिन्न विषयों में पारन्गत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन सन्स्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशान्त सन्स्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था।

14 समावर्तन सन्स्कार

गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन सन्स्कार होता था। इस सन्स्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशान्त सन्स्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन सन्स्कार के तहत होता था। इसमें सुगन्धित पदार्थो एवम् औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में आठ घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मन्त्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दण्ड को छोड़ देता था जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस सन्स्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुन्दर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यो एवम् गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिये विदा होता था। यह सन्स्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस सन्स्कार के समय उसकी उम्र 23–24 वर्ष के लगभग मानी गई है।

समावर्तन का अर्थ है विद्याध्ययन प्राप्त कर ब्रह्मचारी युवक का गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्त्तन।

तत्र समावर्त्तनं नाम वेदाध्यनानन्तरं गुरुकुलात् स्वगृहागमनम् वीर मित्रोदय +6प33
विष्णुस्मृति के अनुसार

कुब्ज, वामन, जन्मान्ध, बधिर, पंगु तथा रोगियों को यावज्जीवन ब्रह्मचर्य में रहने की व्यवस्था है

कुब्जवामनजात्यन्धक्लीब पङ्वार्त रोगिणाम्
ब्रतचर्या भवेत्तेषाम् यावज्जीवमनंशतः। +7प33

समावर्त्तन सन्स्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमित देता है। उपनयन सन्स्कार से प्रारम्भ होने वाली शिक्षा की पूर्णता के बाद ब्रह्मचर्य का कठोर जीवन व्यतीत करने वाले सन्स्कारित युवक को इस सन्स्कार के माध्यम से गार्हस्थ्य जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे सन्स्कारित युवक की स्नातक संज्ञा थी। स्नातक तीन प्रकार के होते थे

(1 विद्या स्नातक (2 व्रत स्नातक (3 विद्याव्रत स्नातक।

इनमें तीसरे प्रकार के स्नातक को ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश का अधिकार मिलता था। आश्रमहीन रहना दोषपूर्ण होता है अतः समावर्त्तन के बाद गृहस्थ बनना अपरिहार्य है, अन्यथा प्रायश्चित होता है।

15 विवाह सन्स्कार

यहाँ के सवर्ण हिन्दुओं में स्त्री का विवाह एक बार ही होता है। पति की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह का कोई विधान नही है। विधवा को अपशकुन सूचक माना जाता है। पुरूष स्त्री की मृत्यु पर दूसरा विवाह कर सकता है।

लगभग पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। विवाह सन्स्कार हिन्दू सन्स्कार पद्धति का आवश्यक महत्वपूर्ण सन्स्कार है। प्रायः सभी सम्प्रदायों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह शब्द का तात्पर्य मात्र स्त्री पुरुष के मैथुन सम्बन्ध तक ही सीमित नहीं है अपितु सन्तानोत्पादन के साथ साथ सन्तान को सक्षम आत्मनिर्भर होने तक के दायित्व का निर्वाह और सन्तति परम्परा को योग्य लोक शिक्षण देना भी इसी सन्स्कार का अंग है। शास्त्रों में अविवाहित व्यक्ति को अयज्ञीय कहा गया है और उसे सभी प्रकार के अधिकारों के अयोग्य माना गया है।

अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः वै प्रा +7

मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही तीन ऋणों से युक्त हो जाता है।

ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृऋण

तीनों ऋणों से क्रमशः ब्रह्मचर्य, यज्ञ, सन्तानोत्पादन करके मुक्त हो पाता है।

गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रम है। जैसे वायु प्राणिमात्रा के जीवन का अश्रय है, उसी प्रकार गार्हस्थ्य सभी आश्रमों का आश्रम है।

यथा वायुं समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः।
यस्मात् त्रायोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मा ज्येष्ठाश्रमो गृही। मनुस्मृति (3)

विवाह अनुलोम रीति से ही करना चाहिए। प्रतिलोम्य विवाह सुखद नहीं होता अपितु परिणाम में कष्टकारी होता है।

विवाह के प्रकार

प्राचीन काल से ही यौन सम्बन्धों में विविधता के वृत्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः स्मृतियों ने इस प्रकार के विवाहों को आठ भागों में विभक्त कियाहै।

(1 ब्राह्म (2 दैव (3 आर्ष (4 प्राजापत्य
(5 आसुर (6 गान्धर्व (7 राक्षस (8 पैचाश।

इनमें प्रथम चार प्रशस्त और चार अप्रशस्त की श्रेणी में रखे गये है। प्रथम चार में भी ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम और समाज में प्रशंसनीय था शेष तरतम भाव से ग्राह्य थे। किन्तु दो सर्वथा अग्राह्य थे। विवाह के विधिविधान देशकाल प्रान्तभेद से पद्धितियां उपलब्ध है तदनुसार वैवाहिक सन्स्कार सम्पन्न किये जातें है व करना चाहिए।

विवाह विश्व के सभी समाज में विद्यमान है। हिन्दुओं में विवाह सन्स्था का सामाजिक संरचना में विशिष्ट स्थान है। भारतीय समाज के हिन्दू धर्म में विवाह को एक धार्मिक सन्स्कार के रुप में स्वीकार किया है। गृहस्थ आश्रम में विवाह के द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का मूल कहा गया है। हिन्दू के लिए विवाह एक आवश्यक कर्तव्य माना गया है। इस धर्म में चार पुरूषार्थो – धर्म, अर्थ, काम एवम् मोक्ष की व्यवस्था की गयी है। इन सभी की पूर्ति गृहस्थाश्रम में ही सम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण –पितृ ऋण, देव ऋण एवम् ऋषि ऋण चुकाने का आवश्यक भार माना गया है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह के पश्चात् सन्तानोत्पत्ति करना आवश्यक माना गया है। मनु विवाह को यौन–सम्बन्धों के उचित नियंत्रण एवम् यह लोक और परलोक के सुख के लिए आवश्यक मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पति–पत्नी एवम् बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और वह सन्स्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। सत्पथ ब्रह्माण्ड में कहा गया है कि पत्नी निश्चित रुप से पति का अर्धांश है – अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवम् सन्तान उत्पन्न नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। विवाह करके व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है और सभी ऋणों से उऋण होकर मोक्ष प्राप्त करता है।

भारतीय समाज में रुढ़ियों का विशेष महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले लोग परम्परानुसार प्रचलित रीतियों को अपनाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के सदस्य इन रीतियों एवम् सन्स्कारों को अपनाते चले जाते हैं। समयानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन परम्पराओं को भारतीय समाज आज भी स्वीकार कर उनका स्वागत करता है। परम्परायें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती हैं।

अरविन्द कुमार त्रिपाठी कृत पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त वर्णन

बुन्देलखण्ड में विवाह सन्स्कार के समय प्रचलित रीति–रिवाज एवम् सन्स्कार

वर के लिए व वधु के लिए

1	लगुन
2	साँझी
3	बागा सिलाई
4	वर की खोज
5	बनरा–बनरी
6	बारामासी
7	गारी
8	माता पूजन
9	मटियानौ
10	अरगौ
11	बीदौरी
12	अलगोजा
13	विरहुल
14	सन्जूना
15	हल्दी–तेल के गीत
16	कूकरा
17	मेंहदी
18	मड़वा मण्डप
19	भात–चीकट
20	विनायकी
21	दूल्हा निकासी
22	गौरेयाँ–जुगिया
23	ऊबनी के गीत
24	द्वारचार–टीका
25	चढ़ाव के गीत
26	सुहाग लेने के गीत
27	भाँवर के लिए दूल्हे का आगमन
28	कन्यादान
29	भाँवर गीत
30	पाँव पखरई का गीत
31	धान बुआई
32	माड़ें पूजन का गीत
33	ज्योनार के गीत
34	दातुन
35	ज्यौनार गारी
36	विवाह के अन्य अवसरों के गीत
37	कंकन–बंद छोड़ना
38	कुँवर कलेवा के गीत
39	दायजा सौंपने का गीत
40	मुँह मड़ई
41	समधी की विदा
42	डलिया–विदा लड़की की

1	लड़की को देखना	वर	
2	सगुन/गोद भरना या ओली भरना		
3	सगाई		
4	सुतकरा		
5	लगुन	1	
6	मटियानौ/धान दरैती(दरैती–चकिया)हल्दी	9	
7	छेई का बुलौआ		
8	भात माँगना व भात–चीकट	19	
9	अरगौ/उबटन व अरगेवारी	10	
10	हल्दी–तेल	15	
11	मड़वा मण्डप	18	
12	राछरी		
13	निकासी/दूल्हा निकासी	21	
14	बारात		
15	अगवानी व मिलन		
16	टीका/फेरा/भावर	24	
	पलकाचार		
17	वरमाला		
18	चढ़ाव व मांग भराई	25	
19	सुहाग मागवौ	26	
20	भाँवर एवम् गठजोड़ी	29	
			दूब भाँवर
			घूरी भाँवर
21	धान बुआई	31	
22	पैर पखराई	30	
23	वर द्वारा वधू की मांग भरना		
24	कोहवर(लहकौरी की रीति)		
25	जेवनार करवाना एवम् गारी गाना	7	
26	कुँवर कलेवा एवम् जूता चुराई	38	
27	रास बँधावा		
28	दैर छपौ		
29	दहेज देना		
30	डलियाँ		
31	विदाई		
32	सरबत		
33	देवी–देवताओं का पूजन एवम् द्वार प्रवेश		
34	मुँह दिखायी/निहारन व मौचायनौ		
35	कंकन छूटना एवम् मछली मारना	37	
36	सुहाग रात	45	
37	दसवारी मांय		
38	चौथी चलाना		
39	गौना		

16 सन्स्कार 16 Sacred Rites

43	गैल रोकने का गीत		40	रोटी छुलाई व बहू का नामकरण			
44	बहू–बेटा लेने का गीत						
45	सुहाग रात के गीत						
46	दादरे						
47	बुन्देली बन्ना गीत						
	रीति 6.09			6.02			

नाई ब्राह्मण या अन्य के द्वारा लड़की को ढूढना और पारिवारिक भूत कालीन इतिहास का पता करना

लड़की को देखना

सगाई के पूर्व लड़की को देखने की रस्म की जाती है। पहले वर पक्ष वाले कन्यापक्ष के यहाँ कन्या देखने जाते हैं। सगुन किया जाता है, जिसमें में क्षमतानुसार वस्त्र आभूषण भेंट करते हैं। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के घर ''तसला'' लेकर जाते हैं। उसमे मिठाई रखकर पूजाघर मे रख कर वर–पक्ष के वरिष्ठ के पैर छूते हैं। इसके पश्चात् गोद या ओली भरने कार्यक्रम किया जाता है। सगुन में गोद भरना या ओली भरना होता है। वर पक्ष कन्या की ओली (गोद) मे मिठाई और साड़ी रख कर कोई आभूषण पहना देते हैं।

1 सगाई

सगाई का अर्थ है कि रिश्ता/सम्बन्ध का निश्चित होना। धर्मशास्त्रों में सगाई के लिए ''वाग्दान'' शब्द का प्रयोग हुआ है। वाग् दान अर्थात वचन देना। (सगाई के पूर्व लड़की को देखने की रस्म की जाती है। सगुन में क्षमतानुसार वस्त्र आभूषण भेंट करते हैं। इसके पश्चात् गोद या ओली भरने रस्म अदा की जाती है।) सगाई में दोनों पक्षों के रिश्तेदार आमन्त्रित व शामिल होते है। वर पक्ष, कन्या के घर मेवा, फल, क्षमतानुसार वस्त्र आभूषण ले जाते है और सगाई पक्की करते है। वर पक्ष की लड़की या महिला कन्या को आभूषण पहना कर उसकी ओली/गोद में मिठाई, वस्त्र आदि रख कर रिश्ता/सम्बन्ध के निश्चित करती है। आमन्त्रित महिलाऐं बन्ना बन्नी के लोकगीत गाती है।

2 सुतकरा

पीली चिठ्ठी जिसे ''सुतकरा'' कहते हैं, विवाह कार्यक्रम लिखे होते है, को वर पक्ष को भेजा जाता है।

सगाई पक्की हाने के बाद विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए सूचना कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजी जाती है। मुहूर्त को पन्डितों द्वारा शोधन कराकर पीली चिटूठी के रुप में, वर–पक्ष के नाई द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ सामर्थ्य के अनुसार सोने–चाँदी की मुद्रा भेजी जाती है। इसे सुतकरा कहते हैं। सुतकरा स्वीकार करने के पश्चात् विवाह की तैयारी शुरु होती है।

3 लगुन/लग्न

यह कन्या–पक्ष के घर पर पड़ोसियों व प्रियजनों का बुलौआ लगाकर पन्डितों द्वारा लिखी जाती है। इसे नाई के द्वारा वर–पक्ष के यहाँ भेजते हैं। नाई बुन्देलखण्ड में विवाह–सन्स्था का सबसे खास व्यक्ति होने के कारण ”खवास” भी कहा जाता है।

लगुन के दिन ही परिवार की महिलायों का समूह में गाँव के बाहर जाता हैं वहाँ भूमि–पूजन कर डलिया मे मिट्टी भरकर लाती हैं जिसे ''मटियानो'' कहते हैं। इस मिट्टी से विवाह से सम्बन्धित चूल्हा, हवन कुण्ड, दीपक, चकिया आदि बनाये जाते हैं।

4 मटियानौ/धान दरैती(दरैती –चकिया) हल्दी/

प्रचलित रीति के अनुसार लगुन के दिन ही मटियाने में परिवार की स्त्रियाँ, पड़ोसिनें समूहबद्ध होकर गाँव के बाहर, मिट्टी लेने जाती हैं। इसी से विवाह में प्रयुक्त होने वाले चूल्हे, चकिया, बरोसी, दीपक, दीपाधार और हवन कुण्ड आदि बनाते हैं। इसी दिन घर में सिल छूकर, उस पर दाल पीसकर मिथौरियां बनती है। इस कर्यक्रम में महिलाओं को माटी मिथौरी का बुलौआ दिया जाता है। देवी देवताओं को देवी देवताओं के गीत गाकर निमन्त्रण दिया जाता है। बटौना में खरपुरी या बताशा बाँटे जाते हैं।

5 छेई का बुलौआ

यह बुलौआ पुरुषों को दिया जाता है। पुरुष एकत्रित होकर गांव के बाहर अपनी–अपनी कुल्हाड़िया लेकर आते हैं। कुल्हड़ियों का पूजन कर ''बटौना'' बाँटते है, जिसमें उबले चने, गुड़ या बताशा होते हैं। सभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर जंगल से लकड़ी काटते तथा गट्ठा बाँधकर विवाह के घर में डाल देते है। लकड़ी के सभी गट्ठों को धूप में सुखाकर विवाह, में लकड़ी को खाना पकाने के कार्य में लिया जाता है।

पड़ोस की महिलायें दाल पीसने, गेंहू बनाने में मदद करती हैं। ''मिथौरी'' बनाई जाती है। यह सारे कार्य मिल–जुलकर निबटाने की भावना से किये जाते है जिससे सामाजिकता की भावना को बल मिलता है।

6 भात माँगना/चीकट

इसे चीकट निमन्त्रण भी कहते हैं। विवाह पुत्र का हो या पुत्री का, उसकी माँ अपने मायके जाकर अपने भईया–भाभी को निमन्त्रण सौपती है तथा विवाह में भात लेकर आने तथा सहयोग की याचना करती है। इसे ही भात मान्गना या भात कौ नोतौ कहते है। इसे चीकट का निमन्त्रण भी कहते है। विवाह के समय मामा अपनी बहिन व बहिनोई के परिवार के सभी सदस्यों के वस्त्राभूषण लेकर जाते है। पुरुषों को चिकट्या या भतैया तथा महिलाओं को भतैतिन कहते है।

किंवदन्ति है– महोबा में हरदौल मृत्यु के पश्चात भी अपनी भान्जी के विवाह में बहिन के घर भात ले कर गये थे।

7 अरगौ/उबटन

विवाह के एक सप्ताह के पहले वर या कन्या को अर्घ देकर ''अरगा'' जाता है। वर या कन्या का उबटन होता है, चन्दनादि जड़ी बूटियों से तथा इत्र फुलेल से लेपन करके, उसके सुरभितीकरण का कार्य होता है। परिवार की महिला सदस्य इस कार्य में उसके साथ रहती है। उसे ''अरगेवारी'' कहा जाता है। उबटन कार्य हेतु वर पक्ष के यहाँ नाई तथा कन्या पक्ष के यहाँ नाईन आती है। अरगौ होने के बाद, वर और कन्या को, गाँव की सीमा बाहर, जाना वर्जित होता है।

8 तेल/हल्दी तेल

(हल्दी तेल चढ़ाने की रीति)– विवाह के लगभग तीन दिन पूर्व वर व कन्या के घर हल्दी तेल का कार्यक्रम होता है। इस दिन महिलाओं का बुलौआ लगता है। महिलाये देवताओं के पूजन के लिए मन्दिरों पर हल्दी तेल चढ़ाने जाती है। इसके पश्चात् कन्या या वर को तेल फुलेल चढ़ाया जाता है। तेल के एक दिन पूर्व ''तिलाई'' का बुलौआ लगता है स्त्रियाँ ''बन्ना–बन्नी'' गाती है। बटौना में आटे खखरियां(पपड़िया) बॉटी जाती है। तेल वाले दिन कन्या को पाँच महिलायें तथा वर को सात महिलायें हल्दी, तेल चढ़ाती है। यह रस्म बहिनों, बुआ आदि द्वारा पूर्ण की जाती है।

9 मण्डप

टीका के एक दिन पूर्व मण्डपाच्छादन का कार्यक्रम होता है। जिसमें बेरी की लकड़ी का सुन्दर नक्कासीदार मण्डप बढ़ई द्वारा तैयार किया जाता है। लड़की की शादी में बड़ा तथा लड़के की शादी में छोटा मण्डप तैयार होता है। शुभ मुहूर्त में भूमि में गढ़ढा कर, पन्चरत्न डालकर मण्डप को गाड़ते है। मण्डप गाड़ने का कार्य पन्डितों, पाँच रिश्तेदारों(फूफा एवम् बहनोई) से सम्पन्न होता है। मण्डप गाड़े जाने के बाद वर या कन्या की बुआ सभी उपस्थित जनों की पीठ पर, हल्दी से रन्गे हाथ के थापे लगाती है।

10 राछरी

बारात जाने के पूर्व, गायों में राछरी घुमाई जाती है। वर मौर लगाकर सारे गाँव का भ्रमण करता है। प्रियजनों व महिलाओं का समूह लोकगीत गाते हुए पीछे–पीछे चलता है/था। पड़ोसी गण अपने द्वारों पर, वर का टीका कर कुछ मुद्रायें भेंट करते है। अब यह राछरी घुमाने की परम्परा लगभग समाप्त हो गयी है।

11 निकासी

विवाह के समय वर जब बारात लेकर वधू के घर जाने के लिए तैयार होता है, उसी समय महिलायें उसे घर से बाहर निकालने का जो विधान रचती है, उसे ''निकासी'' कहते है।

दूल्हे की साज–सज्जा भी यहाँ निराली होती है।

1 वर पीला बागा, सिर पर खजूर पत्र से निर्मित मौर पहनता है,
2 वर की भाभी वर को ''काजर'' लगाती है।
3 बुआ ''खौर'' काढ़ती है। खौर एक विशेष प्रकार का टीका होता है।
4 फूफा ''पाग'' बान्धता है और
5 बहिन ''पान" खिलाती है। राई उतारती है।

इसके बाद वर को घर के मुख्य द्वार के बाहर लाया जाता है। चौक के उपर खड़ा किया जाता है। मान्य लोग वर के उपर एक चादर विताननुमा तान कर उसके चारों कोने/खूंट पकड़ कर खड़े हो जाते है। वर की माँ राई नौन(ढेली वाला नमक) से नजर उसारती/उतारती है। कोई मुसर, कोई रोटी, कोई पूड़ी उसार उसार कर छाये गए कपड़े के उपर से होते हुए एक ओर से दूसरी ओर फेंकती जाती है। मां वर को अपने आंचर/आंचल से ओढ़ाती है। वर के पैरों के सामने दो कच्चे दिवुलियां/दीवले एक दूसरे के मुहरों को स्पर्श करते हुए सूत से बांध कर दाए बाए रख देते है। माता कहती है ''बहू ले कर लौटना, खाली हाथ मत आना।'' बारात निकासी के समय दूल्हा दिबुलियों पर पैर रखकर उन्हें तोड़ता हुआ बिना पीछे देखे चला जाता है।

12 बारात

निकासी के बाद बारात प्रस्थान करती है। जिन क्षेत्रों में परिवाहन के साधन की व्यवस्था नहीं होती, उन स्थानों पर स्वयम् या किराये की बैलगाड़ियाँ, से बारात जाने की व्यवस्था की जाती थी। कुछ समय पूर्व तक में ट्रैक्टरों व सम्पन्न जन बस से बारात ले जाते थे। वर्तमान में किराये या स्वयम् की कार से बारात ले जाते है। यहाँ पर बारात बड़े धूमधाम के साथ प्रस्थान करती है। बारात वधू के गाँव के बाहर किसी बाग मे रूक जाती है।

वहाँ वर कुम्हार के घर जाकर बर्तन तथा बसोर के यहाँ जाकर बँसेड़ा (बाँस से बने पात्र) लेता है और नेग देता है। खबास(नाई) वधू के यहाँ पात्र ले जाकर बारात आने की सूचना देता है। यह पात्र इस बात के प्रतीक है कि गाँव की बाहरी सीमा पर रहने वाले यह प्रमाणित, करते हैं कि बारात आ चुकी है।

13 अगवानी व मिलन

जनवासे में बारात आने के बाद कन्या पक्ष के प्रमुख लोग आगवानी के लिए जाते है। बारातियों को ''काली–मिर्च मिश्रित शरबत पिलाकर ''मिरच्वानी''/स्वागत करते हैं। कन्या का भाई वर का टीका करता है, जिसे ''बाग–टीका'' कहते हैं। मिलनी की रस्म होती है। तत्पश्चात् वर व कन्या के पिता एक दूसरे से हृदय मिलते हैं। समधियों के मिलन के लिए खबास(नाई) पावड़ा डालता है। पावड़ा लाल रन्ग की टूम का कपड़ा होता है। इस पर पहले कन्या व वर के मामा आमने–सामने खड़े होकर एक दूसरे का आलिन्गन करते है। फिर वर–वधू के पिता गले मिलते हैं। कन्या के पिता वर के पिता को मुद्रा भेंट करता है। इसे ''सजन भेंट'' कहते है।

14 टीका

पैठारी (बारात की शोभायात्रा) के बाद, बारात दरवाजे पर आने के पश्चात् वर का टीका, लड़की के मामा या फूफा द्वारा किया जाता है। वर वहीं पर अपने सभी मान्यों का भी टीका करता है। लड़की का भाई एक थाल में श्रीफल, टीका की सामग्री आदि लेकर वर का समर्पित करता है।

पलका चार/द्वारचार– द्वार पर पूजा की जाती है।

15 वरमाला

आजकल शादियों में जयमाल (वरमाला) का प्रचलन जोरो पर है। कन्या, वर को वरण के लिए वरमाल वर के गले में डालती है। इसके पश्चात् वर कन्या के गले में जयमाल डालता है। वहां उपस्थित सभी जन फूलों की वर्षा करते है।

16 चढ़ाव व मांग भराई

बुन्देलखण्ड में चढ़ावा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जयमाल के पश्चात् मण्डप के नीचे पन्डित वधु को बुलाकर सात या आठ वर्ष की कुंवारी कन्या द्वारा चढ़ावा चढ़ावाता है। छोटी कन्या (बहिन) वधु की माँग भरती है। वरपक्ष के लोग नव वधु द्वारा कन्या को वस्त्राभूषण पैसा आदि स्वेच्छापूर्वक दिलवाते है। इसके बाद वधु विवाह में ससुराल के वस्त्राभूषण ही ग्रहण करती है।

17 सुहाग मागवौ

यह बुन्देलख्सण्ड की प्राचीन रीति है। चढ़ावा के बाद नव वधु को धोबिन के घर पालकी में बैठा कर सुहाग मांगने के लिए भेजा जाता है। धोबिन उसका स्वागत करती है और उसे अपनी मांग का सिन्दूर देती है। इसी सिन्दूर का उपयोग मण्डप के नीचे मांग भरने में किया जाता है। धोबिन के घर की रीति समय के साथ, व्यस्तता के कारण खत्म चुकी है। धोबिन मण्डप पर ही सिन्दूर दे देती है।

18 भाँवर एवम् गठजोड़ी

भांवर के समय वर कन्या का गठबन्धन कर दिया है। विधिपूर्वक हवन करके वर व कन्या सात फेरे लेते है तथा विवाह पूर्ण माना जाता है।

दूब भाँवर

कई क्षेत्रों में लड़का टीका के बाद घोड़े पर बैठाकर गाँव के बाहर एक कुएं पर ले जाया जाता है। वहाँ दूब चढ़ाकर पूजन करके उसकी परिक्रमा लगाता है।

घूरी/घूरौ भाँवर

कुछ क्षेत्रों में वर घूरे (कूड़ा के ढेर) पर जाता है। वहाँ उसकी पूजा करके उसकी परिक्रमा करता है, उसे घूरौ भाँवर कहते है। शायद इसी को ''घूरे के भी दिन फिरते है'' कहावत है।

19 पैर पखराई

पैर पखराई के समय पीतल या कांसे की बड़ी परात में हल्दी का घोल डाला जाता हैं। कन्या पक्ष के सभी परिजन व रिश्तेदार कन्या व वर के पैर तीन बार धो कर उस हल्दी मिश्रित जल से पूजते है तथा टीका करते है। भेंट स्वरूप वर को रूपया व कन्या को सोने व चाँदी के गहने देते है। कन्या के छोटे भाइयों को पैर पूजने के समय नारियल तथा महिलाओं को बर्तन आदि वर–पक्ष द्वारा देने की परपम्परा है।

20 वर द्वारा वधू की मांग भरना एवम् ग्रन्थि बंधन/गांठ बधाई

वर द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरा जाता है। इसके बाद ग्रन्थि बन्धन होता है। तथा ध्रुव दर्शन कराया जाता हैं।

21 फेरों में धान बुआई(सन्दर्भ– 18 भाँवर एवम् गठजोड़ी)

विवाह में फेरों के समय कन्या का भाई सूप में जौ–धान्य लेकर वर–कन्या के हाथ पर डालता है। इसमें कन्या की अन्जुरी के नीचे वर की अन्जुरी होती है। यह दम्पत्ति की वंश वृद्धि का प्रतीक है। धान बुआई के समय कन्या के भाई को वस्त्राभूषण दिये जाते है।

22 कोहवर (लहकौरी की रीति)

सुहागिन स्त्रियाँ वर व वधू को कोहबर (कुलदेवता के स्थान) में ले जाती है। मेहर की पूजा (वर–वधू द्वारा कुल देव की पूजा) या मॉँय की पूजा भी कहते हैं। मन्गल गीत गाकर लौकिक रीति पूर्ण करवाती है। वर व कन्या एक दूसरे को घी शक्कर खिलाते हैं। वर दीपक में अलग–अलग रखी बाती को एक कर प्रज्वलित करता है। महिलाएँ हास परिहास करती है। वर से अपने कुल देवता का पूजन करवाने व पैर छुवाने का प्रयास करती है। वर इससे इन्कार कर देता है।

23 जेवनार करवाना एवम् गारी गाना

कन्या के विवाह में जो भोजन दिया जाता है। उसे जेवनार/बढ़ार या बड़ी पंगत कहते हैं। विवाह के दौरान होने वाले अन्य भोजन को छोटी पंगत कहते हैं। वर व कन्या पक्ष के पुरुष इसमें एक साथ बैठ कर भोजन करते है। कहीं कच्ची रसोई की बढ़ार "कच्ची पंगत" होती है, तो कहीं पक्की पंगत की, तो कहीं कच्ची पक्की मिश्रित। कच्ची पक्की मिश्रित पंगत को मिरजापुरी पंगत कहते है। इस पंगत में दाल, चावल,/माड़े के साथ पूड़ी कचौड़ी भी परोसी जाती है। 5 या 7 प्रकार की मिठाईयों का दोना विवाह की प्रतिष्ठा का सूचक है।

महिलायें जेवनार के समय लोकगीत व गारी गाती है। बुन्देलखण्ड में विवाह में गारी गाने का प्रचलन बहुत अधिक है। गारियों को सभी समधी व बाराती प्रसन्नतापूर्वक सुनते है व गारी गाने वाली महिलाओं को पुरस्कार स्वरूप नेग में पान तथा बताशे बाँटे जाते है।

24 लहकौरी रीति, कलेवा एवम् जूता चुराई

लहकौरी रीति के पश्चात् वर को कलेवा के लिए बुलाया जाता है। वर के साथ उसके मित्र एवम् भाई उपस्थित रहतें है। वर को भिन्न–भिन्न प्रकार के मेवा–मिष्ठानों से मुँह मीठा करवाते हैं। कलेवा के समय वर जब मण्डप के समीप आता है, तब वह अपने जूते उतार देता है। कन्या की छोटी बहिने मौका पाते ही जूते चुरा लेती हैं। अपना नेग मिलने के बाद ही जूते वापिस करती है।

25 रास बँधावा

वर व वधू विवाह के पश्चात् जनवासे में जाते है। वर पक्ष का वरिष्ठतम व्यक्ति नवदम्पत्ति का टीका करते है। नववधू को आभूषण पहिनाते है। वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्ति भी टीका लगाकर आरती उतारते है। वधु के साथ उसकी सहेलियाँ भी जनवासे में जाती हैं।

26 दैर छपौ

जिस ग्राम या कस्बे में बारात जाती है। उंस ग्राम में वर के गाँव की जो लड़कियाँ तथा रिश्ते में बहनें ब्याही है, वर जाकर उनको सम्मान में वस्त्र आदि भेट करता है वहां बहिन द्वारा वर का टीका किया जाता है तथा उसे कुछ भेंट दी जाती है। कुंवर कलेवा के बाद विदा होती है।

27 दहेज देना

दहेज की यह रीति सर्वाधिक लोक प्रचलित है। कन्या पक्ष दहेज देते–देते थक जाते है, पर वर पक्ष लेते–लेते कभी नहीं थकता है। वर पक्ष की मांग बढ़ती ही जाती है। प्राचीन काल से आ रही यह परम्परा एक सामाजिक सुरीति है, जो कुरीति में बदल गयी है।

उत्तर पूर्वी भारत का दहेज उदाहरण अनुकरणशील है।

28 डलियाँ

बुन्देलखण्ड में विवाह की डलियाँ का विशेष ही महत्व है। विदाई के समय कन्या के साथ ये डलियां उसकी ससुराल जाती है। डलियाँ विभिन्न प्रकार के पकवानों, मिठाई व व्यन्जनो का पिटारा है। मैदा के बड़े आकार की प्रकार की नमकीन पापडी/खाकड़े, मीठे व नमकीन माठे, बढ़े बड़ै बून्दी के लड्डु, खोवा के गांजा, आदि कलात्मक व अलंकृत करके बनसये जाते है। कुछ लड्डु एक दो किलो का एक बनता है तो कुछ काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट रामदाना आदि के बनाये जाते है।

29 विदाई

कलेवा के बाद वधु, वर के घर जाने को तैयार होती है। विदाई के समय कन्या के सभी परिजनों व रिश्तेदारों से आकर गले मिलती है। इसे भेंट करना कहते है। यह विवाह का सबसे करुण करुण समय होता है। रोती बिलखती नव–विवाहिता को मामा अपने कंधे पर बिठाता है। नाइन पानी पिलाती तथा जल उसारती है। कन्या की माँ वर को टीका कर अपनी पुत्री को वर के साथ विदा कर देती है।

30 सरबत

नववधू जब अपनी ससुराल पहुँचती है तो वर की बहिनें अपनी नई भाभी को ''स रबत'' पिलाकर उनका स्वागत करती हैं। उसके लिए उन्हें नेग दिया जाता है।

31 देवी–देवताओं का पूजन एवम् द्वार प्रवेश

नव–वधू के घर में प्रवेश करने के पूर्व लोक देवताओं तथा ग्राम देवताओं की पूजा होती है। वर–वधू अपने सभी देवी देवताओं पर हाथे लगाकर व पूजन करके घर वापस लौटते हैं। वर की माँ घर पर वधू की आरती तथा पैरों को धोकर तिलक करती हैं। इसके पश्चात दोनों घर में प्रवेश करते हैं।

कहीं कहीं पर वर के यहां वधू का स्वागत बहन या बुआ शरबत पिलाकर करती हैं। देवी–देवताओं के यहां हाथे–थापे लगाये जाते हैं। रिश्तेदार या पड़ोसी महिलायें बहू का ''मौचायनों'' (मुंह दिखाई) करती हैं। बुन्देलखण्ड में विवाह के समय वर–वधू को विष्णु–लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस कारण वर की माँ स्वागत करते समय वधू के पांव छूती हैं। फिर पैरो से दिबुलियाँ तोड़कर वर–वधू घर में प्रवेश करते हैं। ''दादरे'' को ''बुलौआ लगता'' है, सुहागरात के बाद ''चलावे'' (चौथी की विदा) होती हैं।

भारत में नववधू को लक्ष्मी का स्वरुप माना जाता है। वधू के चरण जल को पूरे गृह में छिड़क दिया जाता है। वधू को घर में प्रवेश करने से पहले सुंदर रन्गोली आदि दरवाजे पर सजायी जाती है। द्वार पर चावल को छोटा सा कलश रख दिया जाता है जिसे वधू दाँये पैर सं मारकर आगे कदम बढ़ाते हुए घर में प्रवेश करती है। इस रीति को ही द्वार प्रवेश कहते हैं।

32 मुँह दिखायी

इस रीति को ''निहारन व मौचायनौ'' भी कहते हैं। सारे रिश्तेदारों व परिजनों की स्त्रियाँ मुंह दिखायी में आभूषण, पैसा आदि उपहार में देती हैं। इस समय बुन्देली गीत गाये जाते हैं।

33 कंकन छुडाना एवम् मछली मारना

यह बड़ी ही प्राचीन रीति है। मुँह दिखायी के पश्चात् वर एवम् वधू मण्डप के नीचे एक दूसरे का कंकन छोड़ते हैं। वर की भाभी इस कार्य में दोनों की मदद करती है। महिलाओं द्वारा एक आटे की मछली बनायी जाती है। उसके गले में धागा बाँध दिया जाता है।

वधू एक पीतल के थाल में हल्दी के पानी में उसे घुमाती है। वर का छोटा भाई वर को तीर कमान बनाकर देता है। वर उस मछली पर अपने बाण का प्रहार कर उसे मार देता है। छोटे भाई को नेग दिया जाता है।

34 सुहागरात

यह दो ह्रदयों के मिलन का पर्व होता है। लोक परम्परानुसार जिस कमरे में नव दम्पत्ति का सोना होता है, वहां पर फूलों की सजावट की जाती है। वर की भाभी, वर वधु को सजा संवार कर देर रात में कक्ष में प्रवेश कराती है। वर व वधु एक दूसरे का मुंह मीठा करा कर कोई वस्तु एक दूसरे को उपहार में देते हैं और अपने नव जीवन का प्रारम्भ करते हैं

35 दसवारी मांय

विवाह(टीका) के दिन कुलदेवता के कक्ष में मांय पसारकर उनकी पूजा की जाती है। कोरा लगाये जाते है। विवाह के दसवें दिन इनका पुनः पूजन करके मांय उठाते है। यह मांय परिवारजनों को बाँट दी जाती हैं। उसी दिन मण्डप का पूजन कर उसको उखाड़ते है। दस माननी की सुहागलें तथा सत्य नारायण की कथा भी की जाती है।

36 चौथी चलाना

विवाह के बाद, पहली बार, शुभ मुहूर्त में नवविवाहिता के घर उसका भाई विदा कराने जाता है। इसे चौथी चलाना कहते हैं। अपनी बहिन को लेने के लिए जाता है। भाई अपने साथ वस्त्र, मिठाई, पकवान आदि लेकर जाते हैं। वर के यहाँ इन सबका खूब स्वागत किया जाता है। नववधू का भाई वर की महिलाओं को रुपये देकर पैर छूता है। चौक पूरकर लाल कपड़ा (पावड़े) बिछाया जाता है। नवविवाहिता बहिन अपने भाई से मिलने इसी पावड़े पर आती है। बहिन की गोदी में भाई, नारियल व बताशा डालता है। बहिन के साथ ससुराल से डलियाँ भी जाती है।

37 गौना

विवाह के पश्चात् साल दो साल में, जब दोबारा लड़की की विदा ससुराल के लिए होती है तो इस रीति को गौना कहते हैं। इसे आधे विवाह का महत्व दिया जाता है। इस विदा में भी दान, दहेज एवम् डलियाँ दी जाती है। दान–दायजे में भोजन बनाने व खाने के कम से कम पाँच बर्तन देना आवश्यक होता है। नव वधू से ससुराल में जाकर सर्वप्रथम खिचड़ी बनबाई जाती है।

आजकल तो गौना विदा के दिन या एक दो दिन में कर दिया जाता है।

38 रोटी छुलाई व बहू का नामकरण

बहू का गौना होकर जब वह अपनी ससुराल आती है तब उसे से गृह कार्यों में निपुण करने हेतु "रोटी छुलाई" जाती है। है जिसे ''खिचरी–फरा'' (खिचड़ी और फरा) बनवा कर पूरा किया जाता है। या इस रीति के अंतर्गत बहू, अपने हाथों से मे खाने का कोई एक विशेष व्यंजन बनाती है। जैसे– खिचड़ी, खीर आदि। रिश्तेदारों व प्रियजनों को आमन्त्रित किया जाता है। भोजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नवविवाहिता को नेग देता है और बहू का नया नाम रक्खा जाता है। जैसे– कमलारानी, रानी दुलैया, फूला दूलैया आदि। अनेक जातियों में मैके के स्थानवाचक नाम जोड़कर रखा जाता है। जैसे– उरईवारी, जालौनवारी आदि।

विवाह की सभी रस्मों में ''नेग–न्योछावर'' की जाती है। प्रत्येक अवसर के बुन्देली लोकगीत होते हैं। विवाह में लगभग प्रत्येक अवसर पर ''चौक पूरना'' तथा ''कोहबर'', मुख्य द्वार के ''आरते–मौरते'' का चित्रान्कन लोक–जीवन में जीवन्तता प्रदान करता है। विवाह में प्रत्येक रस्म के लिये गांव भर में बुलावा लगाया जाता है। आधुनिकता ने बुन्देलखण्ड को जब से प्रभावित किया है तब धीरे–धीरे यह परम्परायें लुप्त होती जा रही है।

16 मृत्यु से सम्बन्धित रीति रिवाज/अन्त्येष्टि सन्स्कार

हिन्दू जीवन के सन्स्कारों में अन्त्येष्टि ऐहिक जीवन का अन्तिम अध्याय है। आत्मा की अमरता एवम् लोक परलोक का विश्वासी, हिन्दू जीवन इस लोक की अपेक्षा पारलौकिक कल्याण की सतत कामना करता है। मरणोत्तर सन्स्कार से ही पारलौकिक विजय प्राप्त होती है।

जात संस्कारेणेमं लोकमभिजयति
मृतसंस्कारेणामुं लोकम् वी मि 3–1

विधिविधान–

1 आतुरकालिक दान,

2 वैतरणीदान,

3 मृत्युकाल में भू शयनव्यवस्था,

4 मृत्युकालिक स्नान,

5 मरणोत्तर स्नान,

6 पिन्डदान,

7 (मलिन षोडशी) के 6 पिन्ड दशागात्रायावत् तिलान्जलि,

8 घटस्थापन,

9 दीपदान,

10 दशाह के दिन मलिन षोडशी के शेष पिन्डदान

11 एकादशाह के षोडश श्राद्ध,

12 विष्णुपूजन,

13 शैय्यादान आदि।

14 सपिन्डीकरण,

15 शय्यादान एवम् अन्य

सपिन्डीकरण, शय्यादान एवम् अन्य आदि लोक व्यवस्था के अनुसार उत्तर कर्म आयोजित कराने चाहिए। इन सभी कर्मो के लिए प्रान्त देशकाल के अनुसार पद्धतियां उपलब्ध है, तदनुसार उन कर्मों का आयोजन किया जाना चाहिए।

1 जब व्यक्ति के शरीर की स्थिति पूर्ण शिथिल एवम् अचेत सी होने लगती है तो मृत्यु के पूर्व ही उसे भूमि पर लिटा दिया जाता है।

2 व्यक्ति को गीता का पाठ सुनाते हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे मउरानीपुर और आसपास के क्षेत्र में मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति को कुछ विशिष्ट लोकगीत सुनाये जाते है। इन भजनों एवम् लोकगीतों सन्सार की नश्वरता का वर्णन मिलता है।

3 सर्वप्रथम मून्ज रस्सी में बिना गांठ बान्धे बांसों से निर्मित विमान बना कर मृतक के पार्थिव शरीर को उस पर लिटा देते है।

4 मृतक के पार्थिव शरीर के ऊपर व नीचे सफेद चादर डाल दिया जाता है।

5 फूलों से बनी मालायें इत्र, सुगन्धित फूल मृतक के उपर डाले जाते है।

6 अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति घर के द्वार पर प्रथम पिण्ड दान करता है।

7 तत्पश्चात द्वार पर उपस्थित सभी व्यक्ति राम राम नाम सत्य है बोलते हुए श्मशान घाट जाते हैं।

8 श्मशान जाते हुए मार्ग में रुककर पुनः पिण्डदान किया जाता है।

9 इस यात्रा में पुरुष ही श्मशान घाट जाते हैं। महिलाओं का जाना वर्जित है।

10 विमान में कन्धा पहले पुत्र, बाद में अन्य लोग कंधा देते हैं।

11 शव को स्नान श्मशान घाट पर ही करवाते हैं।

12 मृतक को श्मशान पर ले जाने के पश्चात् नाई वहीं पर अंत्येष्टिकर्ता के सिर के बाल बनाता है।

13 वह स्नान करके पुनः पिण्डदान करता है।

14 चिता पर लिटाकर वक्ष, मुंह, आँख पर देशी घी, जौ, तिल, चावल, चन्दन, शक्कर लगाते हैं।

15 पुरूष के वक्षस्थल पर व स्त्री के कूल्हे पर सर्वाधिक लकडी व कण्डा लगाते है।

16 शव को लकड़ी अथवा कण्डे से जलाते हैं।

17 कपाल क्रिया– बान्स के एक डंडे में एक किनारे मिट्टी की छोटी सी गगरी/घड़ा बाँध देते हैं। उसमें घृतादि भरा रहता है, उसे मृतक के सिर पर डाल देते हैं इसे कपाल क्रिया कहते हैं।

18 श्मशान में उपस्थित सभी कपाल क्रिया होने तक वहाँ शव के जलने की प्रतीक्षा करते हैं।

19 अंत्येष्टिकर्ता व उपस्थित जन, चिता की सात बार परिक्रमा लगाकर, हाथ जोड़कर श्मशान से विदा होते हैं।

20 स्नान– शवयात्री मार्ग में कुंए, तालाब या हैण्डपम्प आदि पर स्नान करके मृतक के घर जाते हैं। घर पर नाई सभी व्यक्तियों को नीम की पत्तियाँ तोड़कर देता है। लोग उसे मुँह में रखते हैं। मृतक का ज्येष्ठ उत्तराधिकारी सभी से सहयोग बनाये रखने तथा सन्रक्षण देने की प्रार्थना करके सबसे हाथ जोड़ता है। इसके बाद सभी व्यक्त अपने अपने घर पर चले जाते हैं।

21 शुद्धता– मृतक के घर पर पन्डित के बताये नियमानुसार शुद्धता होती है। शुद्धता के दिन घर–परिवार के सभी जन सिर के बाल मुन्डवाते/बनवाते हैं। घर को साफ–सुथरा किया जाता है। कच्चा खाना बनाया जांता है। प्रियणन आकर अंत्येष्टिकर्ता एवम् परिवारजनों को किसी मन्दिर में ले जाकर दर्शन करवाते हैं। इसे महादेव भी कहते है।

22 गृहशुद्धि– गृहशुद्धि के लिए शुद्धता के दिन मेहतर, बसोर, चमार, नाई, धोबी को भोजन करवाया जाता हैं।

23 मृतक की अगर पत्नी जीवित है। तो उसे शुद्धता के दिन किसी नदी में स्नान करवाते हैं। वहाँ पर उसको श्रृंगार करके ले जाया जाता है और नदी पर ही उसका श्रृंगार (सौभाग्य सूचक) आभूषण आदि उतारे जाते हैं। यह कार्य नाइन करती है। स्नान के पश्चात् महिला के मायके से आये वस्त्र तथा चान्दी की चूडियां उसे पहिना दी जाती है और अंतिम रुप से विदा करती है।

24 मृत्यु की तिथि से त्रयोदशी तक मृतक के घर में कोई व्यक्ति किसी के चरण स्पर्श नहीं करता है। किसी परिवार में यदि मांगलिक कार्य हो, तो वह मृतक के घर शोक संवेदना करने भी नही जाता है। शोक संवेदना करने यदि बाहर से काई व्यक्ति आता है तो वह भी अन्य किसी के घर नहीं जाता है। अशुभ माना जाता है।

25 नौवार (शुद्धता)

26 नौवार (शुद्धता) के पश्चात् मृतक के रिश्तेदार उसके घर फेरे के लिए आते है सभी रिश्तेदार व प्रियजन प्रवेश द्वार पर रुपये रखते हैं तथा वापिस चले जाते हैं। मान्य जनों के रुपये नहीं लिये जाते हैं।

27 त्रयोदशी त्रयोदशी के दिन शान्ति हवन पाठ कराकर तेरह पन्डितों को भोजन करा कर, गीता, बर्तन, वस्त्र आदि दान देते है। रिश्तेदारों, व्यवहारी व परिवारजनों को मृतक भोज कराया जाता है। गरुण पुराण का पाठ अवश्य कराया जाता है। त्रयोदशी करने के बाद सभी रिश्तेदार वापिस घर जाते है।

अरविन्द कुमार त्रिपाठी कृत पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त वर्णन

संक्षेप

1 _ 0 _ 0	गर्भाधान	फूल चौक	
2 _ 0 _ 0	पुन्सवन	3/4 माह	
3 _ 0 _ 0	सीमन्तोन्नयन	सादें 8/8 माह	
4 _ 0 _ 0	जातकर्म		
4 _ 1 _ 0		शिशु जन्म/भऔ	
4 _ 2 _ 0		प्रथम स्नान	
4 _ 3 _ 0		चरुआ–चढ़ाना	
4 _ 4 _ 0		सांतिया	
5 _ 0 _ 0	नामकरण		
5 _ 1 _ 0		खरी पटा	
5 _ 2 _ 0		छठी	
6 _ 0 _ 0	निष्क्रमण		
6 _ 1 _ 0		बरहों	
6 _ 2 _ 0		दस्तौन	
6 _ 3 _ 0		कुआ पूजन	
6 _ 4 _ 0		सात चौक	
6 _ 5 _ 0		रक्कस	
6 _ 6 _ 0		चंगेर''/चंगिलिया	
6 _ 7 _ 0		आसें	
6 _ 8 _ 0		छितरियाँ कढोरी	
6 _ 9 _ 0		मूल नक्षत्र	
7 _ 0 _ 0	अन्नप्राशन		
7 _ 1 _ 0		मुण्डन	
7 _ 2 _ 0		शिखा की व्यवस्था	
8 _ 0 _ 0	चूडाकरण		
9 _ 0 _ 0	कर्णवेध	कर्णछेदन/कंछेदन	
10 _ 0 _ 0	विद्यारम्भ	अक्षरारम्भ सन्स्कार	
11 _ 0 _ 0	उपनयन		
12 _ 0 _ 0	वेदारम्भ	5वें या 7वें वर्ष	
13 _ 0 _ 0	केशान्त	शारीरिक और व्यावहारिक योग्यता	
14 _ 0 _ 0	समावर्तन	गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी	
15 _ 0 _ 0	विवाह		
15 _ 1 _ 0		(1 ब्राह्म	
15 _ 1 _ 1			लड़की को देखना
15 _ 1 _ 2			सगुन/गोद भरना या ओली भरना

अरविन्द कुमार त्रिपाठी कृत पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त वर्णन

15 _ 1 _ 3	सगाई
15 _ 1 _ 4	सुतकरा
15 _ 1 _ 5	लगुन
15 _ 1 _ 6	मटियानौ/धान दरैती (दरैती–चकिया) हल्दी
15 _ 1 _ 7	छेई का बुलौआ
15 _ 1 _ 8	भात माँगना व भात–चीकट
15 _ 1 _ 9	अरगौ/उबटन व अरगेवारी
15 _ 1 _ 10	हल्दी–तेल
15 _ 1 _ 11	मड़वा मण्डप
15 _ 1 _ 12	राछरी
15 _ 1 _ 13	निकासी/दूल्हा निकासी
15 _ 1 _ 14	बारात
15 _ 1 _ 15	अगवानी व मिलन
15 _ 1 _ 16	टीका/फेरा/भावर
15 _ 1 _ 17	पलकाचार
15 _ 1 _ 18	वरमाला
15 _ 1 _ 19	चढ़ाव व मांग भराई
15 _ 1 _ 20	सुहाग मागवौ
15 _ 1 _ 21	भाँवर एवम् गठजोड़ी
15 _ 1 _ 22	
15 _ 1 _ 23	
15 _ 1 _ 24	पैर पखराई
15 _ 1 _ 25	वर द्वारा वधू की मांग भरना
15 _ 1 _ 26	कोहवर(लहकौरी की रीति)
15 _ 1 _ 27	जेवनार करवाना एवम् गारी गाना
15 _ 1 _ 28	कुँवर कलेवा एवम् जूता चुराई
15 _ 1 _ 29	धान बुआई
15 _ 1 _ 30	रास बँधावा
15 _ 1 _ 31	दैर छपौ
15 _ 1 _ 32	दहेज देना
15 _ 1 _ 33	डलियाँ
15 _ 1 _ 34	विदाई
15 _ 1 _ 35	सरबत
15 _ 1 _ 36	देवी–देवताओं का पूजन एवम् द्वार प्रवेश
15 _ 1 _ 37	मुँह दिखायी/निहारन व मौचायनौ
15 _ 1 _ 38	कंकन छूटना एवम् मछली मारना
15 _ 1 _ 39	सुहाग रात
15 _ 1 _ 40	दसवारी मांय

16 सन्स्कार 16 Sacred Rites

15 _ 1 _ 41			चौथी चलाना
15 _ 1 _ 42			गौना
15 _ 1 _ 43			रोटी छुलाई व बहू का नामकरण
15 _ 2 _ 0		(2 दैव	
15 _ 3 _ 0		(3 आर्ष	
15 _ 4 _ 0		(4 प्रजापत्य	
15 _ 5 _ 0		(5 आसुर	
15 _ 6 _ 0		(6 गान्धर्व	
15 _ 7 _ 0		(7 राक्षस	
15 _ 8 _ 0		(8 पैशाच।	
16 _ 0 _ 0	अन्त्येष्टि	आतुरकालिक दान,	
16 _ 0 _ 0		वैतरणीदान	
16 _ 0 _ 0		मृत्युकाल में भू शयनव्यवस्था	
16 _ 0 _ 0		मृत्युकालिक स्नान	
16 _ 0 _ 0		मरणोत्तर स्नान	
16 _ 0 _ 0		पिन्डदान	
16 _ 0 _ 0		(मलिन षोडशी) के 6 पिन्ड दशागात्रायावत् तिलान्जलि	
16 _ 0 _ 0		घटस्थापन	
16 _ 0 _ 0		दीपदान	
16 _ 0 _ 0		दशाह के दिन मिलन षोडशी के शेष पिन्डदान	
16 _ 0 _ 0		एकादशाह के षोडश श्राद्ध	
16 _ 0 _ 0		विष्णुपूजन	
16 _ 0 _ 0		.शैय्यादान आदि	
16 _ 0 _ 0		सपिन्डीकरण	
16 _ 0 _ 0		शैय्यादान एवम् अन्य	

अरविन्द कुमार त्रिपाठी कृत पुरातन बान्दा, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त वर्णन

सन्दर्भ सौजन्य साभार

सन्ग्रहीत प्रति मूल से 11 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्तूबर 2015.
सन्ग्रहीत प्रति मूल से 15 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अक्तूबर 2015.
गौतम स्मृति से उद्धरण
बुन्देलखण्ड की चित्रकला 1—197 पृ 36, 67
सन्स्कार व लोकाचार/रीति रिवाज पृ 5/5 ला4
बुन्देलखण्ड विनीता 34
वीरमित्रोदय
सुश्रुत संहिता
पा गृ सूत्र
भावप्रकाश निघण्टु
स्मृतिकार बृहस्पति
मनुस्मृति 2 अ 37
विष्णुस्मृति
पारस्कर गृह्यसूत्र के रचियता महर्षि पारस्कर
+1, +2, +3, +4,+7 संस्कार संदर्भ पुस्तक विश्वविद्यालय सीवीके—02 प33